लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 23 फरवरी 96

को

कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 1996 में विचारणीय विषयों की विषय-सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 1995 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	गोमती नगर योजना तथा लखनऊ-रायबरेली रोड के मध्य प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े रिंग रोड एवं सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत उसके दोनो तरफ की भूमि का अर्जन ।	16
3.	ताज होटल के समीप गोमती नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण बी.ओ.टी. के आधार पर करने के सम्बन्ध में।	37
4.	गोमती नगर योजना के टाउन सेन्टर (विभूति खण्ड) मे प्रस्तावित संस्थागत भू-उपयोग के बदले विराज खण्ड जिसका भू-उपयोग संस्थागत है, मे से 50 एकड़ भूमि टाउन सेन्टर मे परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	62

विषय सँख्याः 1 पृष्ठ सँख्याः 1 ए

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनाँक 9 नवम्बर 1995 के

कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनाँक 9 नवम्बर, 1995

का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 1995 का कार्यवृत्त

उपस्थित :

1.	श्री अतुल कुमार गुप्ता	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
2.	श्री एस. आर. लाखा	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री प्रदीप शुक्ला	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री एस. के. सिन्हा	संयुक्त सचिव, उ. प्र. शासन, वित्त विभाग।
5.	श्री हरे कृष्ण शर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6.	श्री पी. के. पाण्डे	मुख्य अभियन्ता, जलनिगम, लखनऊ।
7.	श्री एम. ए. ए. खान	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 मई, 1995 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 मई, 1995 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा कुछ बिन्दुओं पर निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 94 में लिये जा चुके निर्णय के क्रम में निर्देशित किया गया कि नीपियर रोड में डा. अतुल खन्ना को भूखण्ड परिवर्तित कर दिया गया है रिक्त भूखण्ड पर से अनाधिकृत अतिक्रमण को तत्काल हटवाया जाये।

2. 21 जनवरी, 94 एवं 29 दिसम्बर, 1994 में लिये गये निर्णय के क्रम निर्देश दिये गये कि अलीगंज योजना के हाइटेन्शन लाइन से आच्छादित भूखण्डों को अन्यत्र समायोजित कर दिया जाये तथा आच्छादित क्षेत्र पर पार्क का विकास शीघ्र कराया जाये जिससे अतिक्रमण न हो सके।

3. कालविन कालेज की भूमि के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया कि अब कालविन कालेज का प्रबन्धक मण्डल भूमि देने हेतु इच्छुक नही है, अतः इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है परन्तु यह देख लिया जाये कि इस नजूल भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे शासन ने क्या निर्णय लिया है तथा प्राधिकरण द्वारा क्या कोई धनराशि धनसंश इस पर व्यय तो नही की गई है।

4. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.12.94 के विषय संख्या:11 पर प्रस्तुत किये गये श्रीराम व्यावसायिक केन्द्र से सम्बन्धित प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि पन्द्रह दिनो मे कार्यवाही पूर्ण की जाये।

5. प्राधिकरण की बैठक 29.12.94 के विषय संख्या:22 के अन्तर्गत गोमती नगर योजना मे भूमि अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव पर गठित उपसमिति की बैठक आवश्यकतानुसार यथा-समय कर ली जायेगी।

6. प्राधिकरण की बैठक 29.12.94 के अनुपूरक विषय संख्या:10 के अन्तर्गत लखनऊ नगर की भविष्य की जलापूर्ति हेतु अन्डर ग्राउन्ड वाटर स्टडी की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

7. 29.12.94 के अनुपूरक विषय संख्या: 11 के अन्तर्गत गाजियुद्दीन हैदर केनाल के ऊपर एलीवेटेड एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण से सम्बन्धित निर्णय के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया।

8· विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 फरवरी, 95 के विषय संख्या:3 के अन्तर्गत उ·प्र· आवास विकास परिषद के इन्दिरा नगर, विकास नगर आदि क्षेत्रों को नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर यथा-समय विचार किया जायेगा।

9· 9 फरवरी, 95 में अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधो के शमन हेतु संशोधित उपविध 1994 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत प्रस्ताव के विषय मे निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आगामी बैठक मे प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

10· 9 फरवरी, 95 के विषय संख्या: 9 पर गोमती नगर योजना मे क्लब के निर्माण से सम्बन्धित गठित उपसमिति का पुनरीक्षण करते हुए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता मे समिति गठित की गई। इस समिति मे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ·प्र· तथा इस क्षेत्र में निपुणता प्राप्त 2 विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञों का चयन, उपाध्यक्ष व्दारा स्वयं किया जायेगा। यह भी निर्देश दिये गये कि गठित समिति शीघ्र अपनी बैठक कर संस्तुतियां प्रस्तुत करें।

11· 9 फरवरी, 95 के विषय संख्या: 13 अवध जिम खाना क्लब के निकट स्थित नजूल भूमि के सम्बन्ध मे उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया कि वे उक्त स्थल की उपयोगिता को दृष्टिगत रखकर इसके सदुपयोग हेतु विचार करें।

12· 9 फरवरी, 95 के विषय संख्या: 14 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत राजा बिजली पासी ट्रस्ट को भूमि दिये जाने का उच्च स्तर पर औचित्य नहीं पाया गया जिसके क्रम मे शासन को सूचना प्रेषित कर दी गई है। यह भी निर्देश दिये गये कि कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत 19·327 एकड़ भूमि को आवासीय से हरित पट्टी मे तथा उतने ही क्षेत्रफल की हरित पट्टी की भूमि को आवासीय किये जाने का जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, ~~के अनुसार कार्यवाही की जाये।~~
की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाय।

13. 9 फरवरी, 95 के विषय संख्या:17 डा. बी.आर.अम्बेदकर विश्वविद्यालय परिसर हेतु 226.45 एकड़ भूमि की व्यवस्था के प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को एक पत्र भेज दिया जाये कि उक्त भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार, आवास विभाग उत्तर प्रदेश शासन मे निहित है। यदि सम्बन्धित भूमि विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित की जाती है तब प्राधिकरण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन मे कोई आपत्ति नही है। तद्नुसार आवास विभाग, उ.प्र.शासन अग्रिम कार्यवाही करेगा।

14. 9 फरवरी, 95 के विषय संख्या: 18 पर प्रस्तुत अधिकांशत भूखण्ड संख्या: 285, मौजा इशादत नगर के सम्बन्ध मे निर्देश दिये गये कि उक्त स्थल से चिन्हित अतिक्रमण को शीघ्र हटवाकर वहाँ चहारदीवारी बनवाई जाये।

15. 9 फरवरी, 95 के अनुपूरक विषय संख्या: 12 सिन्डर्स डम्प योजना, आलमबाग मे अन्तीजला बस टर्मिनस निर्माण से सम्बन्धित निर्णय के क्रम मे अवगत कराया गया कि पूर्व मे इस हेतु जो योजना बनाई गई थी उसपर बिल्डर्स द्वारा विशेष रूचि नही दिखाई गई। यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्डर्स ऐसोसियेशन के साथ विचार विमर्श करके यह देख लें कि क्या पूर्व मे बनाई गई योजना मे कुछ संशोधनो की आवश्यकता है जिससे बिल्डर्स योजना के प्रति आकर्षित हो सकें। उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. इस सम्बन्ध मे डेढ़ माह के अन्दर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगें ताकि तद्नुसार आफर मांगे जा सकें।

16. इनकेन कन्स्ट. लि. एवं मीरट डेव. ऐण्ड का. प्रा.लि. द्वारा 5 ए,बी, लालबहादुर शास्त्री मार्ग पर ग्रुप-हाउसिंग के निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.5.95 के अनुपूरक विषय संख्या:14 पर प्रस्तुत किया गया था। कार्यालय भवन क्षेत्र मे आवासीय भवन हेतु भू-आच्छादन 30 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 150 की स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा प्रदान कर दी गई थी परन्तु निर्णयानुसार पत्रावली पर अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अवशेष था। इसी मध्य पक्ष द्वारा अपना प्रस्ताव परिवर्तित कर दिया गया तथा मांग की गई कि स्थल का भू-उपयोग परिवर्तन जी-2 से आवासीय क्षेत्र आर-2 मे परिवर्तित कर दिया जाये। यह अधिकार आवास विभाग, उ.प्र.शासन मे निहित है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित मामला आवास विभाग, उ.प्र.शासन को प्राधिकरण द्वारा सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय संख्याः 3 — लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक 1995-96

निर्णयः — निम्नांकित निर्देशों के साथ प्रस्तुत आय-व्ययक, 1995-96 पर स्वीकृति प्रदान की गईः

1. भू-अर्जन के प्रतिकर की देनदारियों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर बैठक हुई है तथा भुगतान-सारणी निर्धारित होनी है, निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यकता हो तो भुगतान सारणी के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधान कर लिया जाये।

न्यायालयों के आदेशों के अनुसार भी भुगतान हेतु आवश्यक प्राविधान कर लिये जायें।

2. प्राधिकरण की अगली बैलेन्स शीट आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

3. अधिष्ठान मद में कुछ यथा-सम्भव कटौती किये जाने का मत व्यक्त किया गया।

4. सीवेज डिस्पोजल के मद में किये गये प्राविधानों के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो योजनायें बनाई गई है उनमें गोमती ऐक्शन प्लान में किये गये प्राविधानों के अनुसार संशोधन कर लिया जाये क्योंकि सीवेज डिस्पोजल अब गोमती नदी में ही किया जाना है। इस कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोडल अधिकारी नामित किया गया।

विषय संख्याः 4 — अभियन्त्रण कार्यों की भौतिक प्रगति आख्या।

निर्णयः — प्रस्तुत की गई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गयेः

1. जिन योजनाओं में कार्य पूर्ण होने की तिथि निर्धारित है एवं मूल्य में वृद्धि किये जाने पर रोक है, वहां से सम्बन्धित लम्बित बिलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाये तथा उसकी मानीटरिंग की जाये कि वे निर्माण/विकास कार्य निश्चित समय में पूर्ण हो जायें।

2. जिन सम्पत्तियों का विक्रय केशसेल पद्धति के अन्तर्गत किया गया है, उनके अवशेष निर्माण विकास कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. आवंटित सम्पत्ति का कब्जा दिये जाने की कार्यवाही सम्पत्ति विभाग तथा अतिक्रमण विभाग की टीम बनाकर अभियान के रूप में एक माह के अन्दर पूर्ण कराई जाये।

4. आवंटित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों पर निर्धारित अवधि के अन्दर अथवा आठ वर्ष या अधिक समय तक निर्माण कार्य पूर्ण न करने, आवंटित दुकानों में व्यवसाय न प्रारम्भ करने की दशा में आवंटियों को नोटिस देकर उनके निरस्तीकरण एवं पुर्नआवन्टन की कार्यवाही शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्याः 5 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भवनों/भूखण्डों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्कूलों, अस्पतालों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं जिनको रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई गई है, उनमें फ्री-होल्ड करने की कार्यवाही न की जाये। शासन को तद्नुसार संस्तुति भेज दी जाये। व्यवसायिक भूखण्डों की भूमि को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड किये जाने की कार्यवाही की जाये परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि नीलाम के समय जो सेट-बैक, डेन्सिटी व एफ.ए.आर. उस भूखण्ड के लिये दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

विषय संख्याः 6 — डाकूमेन्टेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णयः — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इन्स्टीट्यूशनल एरिया की भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित कर ली जाये और उपलब्ध भूमि का नियोजन कर लिया जाये। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों का भी अध्ययन कर लिया जाये तत्पश्चात् प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि किन-किन संस्थाओं को किन प्रयोजनों हेतु किस दर पर भूमि आवंटित की जानी है। सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्याः 7 — कानपुर रोड योजना/शारदा नगर योजना में प्राइवेट बिल्डर्स को लाइसेन्स पर आवंटित भूमि से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिस भूमि का कब्जा बिल्डर्स को नहीं दिया गया है उसके लिये यह विकल्प रखा जाये कि यदि बिल्डर्स द्वारा वाह्य विकास व्यय इस समय नहीं दिया जाता है तो जिस समय उन्हे कब्जा दिया जायेगा, तब वाह्य विकास शुल्क की पुरानी दर न लेकर कब्जा देते समय की नई वाह्य विकास दर बिल्डर्स को देनी होगी। इसी प्रकार यदि कोई भूमि बिल्डर्स स्वयं अर्जित करता है और उसकी बाउन्ड्री के अन्तर्गत भूमि आती है तब उस पर भी वाह्य विकास व्यय मौजूदा लागत से देना होगा।

विषय संख्याः 8 — गोमती नगर योजना में टेनिस काम्पलेक्स की स्थापना हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि टेनिस काम्पलेक्स के निर्माण हेतु आवासीय दर की 10 प्रतिशत दर से भूमि उपलब्ध करा दी जाये।

विषय संख्याः 9 के सम्बन्ध में । — नेहरू इनक्लेव स्थित गोमती नगर के भवनों की हायर परचेज किश्त

निर्णयः — प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्याः 10 — गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-1 व 2 में भूखण्डों पर अनधिकृत कब्जेदारों को विनीत खण्ड के ई-डब्लू-एस-भवनों में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

निर्णयः — प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्याः 11 — श्री राजवीर सिंह, अवर वर्ग सहायक, आवास विभाग को कर्मचारी कोटे के अन्तर्गत भवन आवंटित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः — विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय संख्याः 12 — श्री वी॰सी॰पाण्डेय को अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या बी-62/ई, के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय संख्याः 13 — श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय को अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्ड संख्याःबी-63/ई के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय संख्याः 14 — छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु विपिन खण्ड, गोमती नगर योजना में प्रस्तावित स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव।

निर्णयः परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अनु॰विषय संख्याः1 — मूल बजट 95-96 पारित होने की प्रत्याशा में किये गये व्यय की औपचारिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णयः विचारोपरान्त बजट पारित होने की प्रत्याशा में किये गये व्ययों की स्वीकृति प्रदान की गई।

अनु॰विषय संख्याः2 — मूल बजट 95-96 की स्वीकृति हेतु आख्या।

निर्णयः प्रस्तुत की गई आख्या का अवलोकन किया गया।

अनु॰विषय संख्याः3 — गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरू एन्क्लेव में निर्मित भवनों/भूखण्डों से सम्बन्धित।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित आवंटियों की मांग पर उनके द्वारा जमा धनराशि बिना कटौती के सब्याज वापस कर दी जाये।

2॰ सेना के अधिकारियों द्वारा न्यायालय में इस आशय का शपथ-पत्र दिया है कि उनके द्वारा आवंटियों के नामों में को।

व्यवधान नहीं उत्पन्न किया जायेगा। अतः यदि कोई आवन्टी इस प्रकार की शिकायत करता है तो उसका शपथ-पत्र न्यायालय मे दाखिल कराया जाये।

3. विवाद को समाप्त कराने हेतु समुचित कार्यवाही की जाये।

अनु॰विषय संख्या:4 रीजरवी से पूर्व पंजीकरण हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

निर्णय: प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया:

1. 3 जनवरी,95 से पूर्व विद्यमान पंजीकरण हस्तान्तरण की प्रक्रिया को पुनःप्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि आवन्टी हस्तान्तरण के फलस्वरूप जो भवन/भूखण्ड प्राप्त करेगा उसे पुनः किसी अन्य खण्ड/सेक्टर मे, अपना भवन/भूखण्ड परिवर्तित कराने का अधिकार नही होगा, क्योंकि यह भवन/भूखण्ड वर्तमान स्थिति को देखकर सोच-समझकर उसके द्वारा प्राप्त किया गया है।

2. भवन के स्थान पर भूखण्ड एवं भूखण्ड के स्थान पर भवन परिवर्तित किये जाने पर प्रतिबन्ध पूर्व में लगा दिया गया था इसे संशोधित करते हुए भूखण्ड के स्थान पर भवन परिवर्तित कराने की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

3. किराया क्रय पद्धति पर आवन्टित भवनो के सम्बन्ध मे यदि किसी आवन्टी द्वारा हस्तान्तरण कराया जाता है तो नये आवन्टी के पक्ष मे अनुबन्ध करने से पूर्व देय अवशेष धनराशि ले ली जाये तभी परिवर्तन स्वीकार किया जाये।

अनु॰विषय संख्या:5 श्री विजयानन्द सिंह को अलीगंज योजना मे आवन्टित भूखण्ड संख्या:सी-42 सेक्टर ए के स्थान पर गोमती नगर योजना मे भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु॰विषय संख्या:6 श्री शीश कुमार श्रीवास्तव को अलीगंज योजना मे आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना मे भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु॰विषय संख्या:7 श्री मोहम्मद असलम को अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्ड सी-55/ई के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु॰विषय संख्या:8 श्रीमती एवं श्री आदर्श भाटिया को अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या: सी-10 ए/बी, सेक्टर सी के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु॰विषय संख्या:9 श्रीमती सुधारानी को रायबरेली रोड में आवंटित भवन संख्या:5/157 रजनी खण्ड के स्थान पर सीतापुर रोड योजना में भवन परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु॰विषय संख्या:10 बटलरगंज योजना के भूखण्ड संख्या: 23 को धारा-48(1) के अन्तर्गत अर्जन से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय किया गया कि अर्जित क्षेत्रों के मध्य छोटे छोटे क्षेत्रों के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रस्ताव न लाकर एक साथ प्रस्ताव लाया जाये एवं गुण-अवगुण के आधार पर अर्जन से मुक्त करने अथवा न करने पर विचार किया जाये।

अनु॰विषय संख्या:11 खसरा संख्या: 141,147,152,155,156,158,159,160 ग्राम आदेल नगर परगना व तहसील जिला लखनऊ कुर्सी रोड के भू-उपयोग को बस टर्मिनल से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय किया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करें।

अनु·विषय संख्या:12 महिला प्रशिक्षण एवं स्वयं रोजगार संस्थान, लखनऊ में आयोजित "महिला-95 सम्मेलन" को आर्थिक सहायता से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अनु·विषय संख्या:13 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी/अधिकारी आवास योजना के समस्त पंजीकृत आवेदकों को आश्वासन समिति में दिये गये आश्वासन के अनुपालन में भवन उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिन आवेदकों के हायर परचेज में पंजीकरण अवशेष हैं, धनराशि वापस नहीं ली गई है उनसे इस बात की सहमति प्राप्त कर ली जाये कि कि क्या वे उपलब्ध अन्य श्रेणी के भवन लेने हेतु सहमत हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सहमति प्राप्त की जाये कि क्या वे विनम्र खण्ड, वास्तुखण्ड एवं विनीत खण्ड में प्रस्तावित डिजाइन एवं मूल्य पर भवन प्राप्त करने हेतु सहमत हैं। तदनुसार कार्यवाही की जाये एवं अवशेष पंजीकृत व्यक्तियों हेतु भवन बनाये जाये।

अनु·विषय संख्या:14 गोमती नगर योजना में तृतीय जलकल की स्थापना हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि तृतीय जलकल की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाये। तदुपरान्त प्रतिपूर्ति हेतु शासन को पत्र भेजा जाये।

अनु·विषय संख्या:15 ल·वि·प्रा·की विभिन्न योजनाओं में आवासीय/व्यवसायिक निर्मित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट की नियुक्ति से सम्बन्धित।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तथा कमीशन एजेन्ट नियुक्ति करने का निर्णय निरस्त ([illegible])

अनु·विषय संख्या:16 निदेशक पंचायतराज को अलीगंज योजना सेक्टर ई में दी गई भूमि पर व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त कार्यालय एवं आवासीय भवन हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया परन्तु व्यवसायिक प्रयोग हेतु प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

[illegible]

अनु·विषय संख्या:17 गोमती नगर योजना में पब्लिक स्कूल की स्थापना हेतु 10 एकड़ भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इन्टरमीडिएट स्कूल के लिये निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विपुल खण्ड गोमती नगर के इन्स्टीट्युशनल क्षेत्र में 10000 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध करा दी जाये। गोमती नगर योजना में अन्य स्थान पर हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट स्कूल के लिये जहां भूमि आरक्षित हो उसी से समान क्षेत्रफल को इन्स्टीट्युशनल क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया जाये।

2· जिलाधिकारी से स्कूल हेतु भूमि दिये जाने हेतु संस्तुति प्राप्त कर ली जाये।

3· शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं भुगतान पध्दति के अनुसार भूमि आवन्टित की जाये।

4· विद्यालय के प्रत्येक सेक्शन में तीन प्रवेश की दर से सीटों का आरक्षण प्रत्येक क्लास में किया जाये जिनपर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की संस्तुति पर प्रवेश दिया जाये।

अनु·विषय संख्या:18 रीजनल रिसर्च इन्स्टीट्युट आफ् यूनानी मेडीसन को कानपुर रोड योजना में स्थित रिक्त भूमि (ग्रीनबेल्ट) हेतु आरक्षित भूमि में हर्बल गार्डेन की स्थापना हेतु भूमि दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय संख्या:19 श्री जगदम्बिका पाल, एम·एल·ए·को आवन्टित भूखण्ड ए-3/249 विनय खण्ड में अनिर्माण लेवी न लेने एवं 31·12·96 तक समयवृध्द प्रदान करने से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त अनिर्माण लेवी न लिये जाने एवं 31·12·96 तक समय वृध्द दिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय संख्या:20 श्री रामलखन वर्मा को आवन्टित बी-2/147, विपुल खण्ड को किरायाक्रय पध्दति पर परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त किरायाक्रय पध्दति पर परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव

अनु॰विषय संख्या:21	गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में आवंटित भूखण्ड संख्या: 2/1, विपुल खण्ड के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।
निर्णय:	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विनीत खण्ड में आवन्टन के समय अर्थात जुलाई, 92 में प्रचलित दर रु0 750/- प्र॰वर्गमीटर की दर से धनराशि प्राप्त की जाये।
अनु॰विषय संख्या:22	कानपुर रोड योजना के अन्तंगत आवंन्टित भूखण्ड संख्या:डी-1/874 एच, के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।
निर्णय:	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
अनु॰विषय संख्या:23	राजकीय कार्य सम्पादित करते समय हत्या किये जाने के परिप्रेक्ष्य में भूखण्ड आवन्टन से सम्बन्धित।
निर्णय:	उपाध्यक्ष द्वारा श्रीमती पूर्णिमा पान्डेय, विधवा श्री सतीश चन्द्र पान्डेय को विपुल खण्ड में आवंन्टित भूखण्ड संख्या:6/31 का अनुमोदन किया गया।
अनु॰विषय संख्या:24	श्री आर॰के॰माडवेल को कानपुर रोड योजना में आवंन्टित एम॰आई॰जी॰भवन संख्या:2/200 सेक्टर एच के स्थान पर गोमती नगर योजना में भवन परिवर्तन से सम्बन्धित।
निर्णय:	प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति के प्रत्याशा में उपाध्यक्ष द्वारा किये गये परिवर्तन का अनुमोदन किया गया। परन्तु [illegible]
अनु॰विषय संख्या:25	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चकबस्त रोड स्थित भूखण्ड संख्या:1 पर प्रस्तावित कार्यालय भवन के मानचित्र की स्वीकृति से सम्बन्धित।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
अनु॰विषय संख्या:26	श्री रत्नाकर एस॰रेकवार द्वारा रामनगर हाउस 17-स्टेशन रोड म्युनिसिपल स0:62/16 पर समूह आवास हेतु क्षेत्रानुपात 2·5 करने के सम्बन्ध में।
निर्णय:	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति शासन को भेज दी जाये।

अनु·विषय संख्या:27 हरदोई रोड योजना में 132 के·वी·सब स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि 132 के·वी·सबस्टेशन हेतु भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करा दी जाये। शासन को प्रतिपूर्ति हेतु पत्र भेज दिया जाये।

अनु·विषय संख्या:28 श्री शरतचन्द्र अवस्थी को रोश्म खण्ड शारदा नगर में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय संख्या:29 श्री प्रकाशनाथ दीक्षित को रोश्म खण्ड में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय संख्या:30 भूखण्ड संख्या:बी-2/49 विपुल खण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय संख्या:31 श्री मोण प्रसाद मिश्र को आवन्टित भूखण्ड संख्या:सी-1/14 विकास खण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय संख्या:32 भूखण्ड संख्या:बी-2/11 विपुल खण्ड गोमती नगर योजना पर लगाये गये परिवर्तनशुल्क को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु॰विषय संख्या:33 गोमती नगर योजना में गोल्फ कोर्स विकसित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। समिति के सदस्यों का चयन मानीटरिंग कमेटी हेतु करने के लिये अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

अनु॰विषय संख्या:34 श्री कर्णसिंह चौहान आवन्टी भवन संख्या:ई-/833 विकास खण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

<u>अन्य प्रस्ताव</u>

1॰ लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18॰7॰94 के विषय संख्या:5 पर लिये गये निर्णय के क्रम में अलीगंज योजना के हाईटेन्शन लाइन से आच्छादित क्षेत्र में पड़ रहे भूखण्डो को अन्यत्र समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में हाईटेन्शन लाइन से आच्छादित भूखण्ड की आवन्टी श्रीमती मन्जू जौहरी को आवंटित भूखण्ड संख्या:बी-1/4 सी॰एस॰ के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

2॰ श्री आर॰एस॰निगम को आवन्टित भूखण्ड के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि इनको जो भूखण्ड आवन्टित किया गया है उसके विरूध्द धनराशि प्राप्त करने हेतु जो मांगपत्र भेजा जाना है उसमें से, श्री निगम को जितनी मुआवजे की धनराशि प्राधिकरण से प्राप्त होनी है, उसे समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि का मांगपत्र भेजा जाये।

3॰ सेवारत या सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व केन्द्र तथा राज्य सरकार के निगमों व प्राधिकरणों के अधिकारियों कर्मचारियों को आवंन्टित सम्पत्ति के परिवर्तन शुल्क रू0 35,000/- तक माफ किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष, ल॰वि॰प्रा॰ को दिये जाने का निर्णय लिया गया। माह में 10 व्यक्तियों तक के प्रकरणों पर परिवर्तन शुल्क माफ किये जाने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त अधिक धनराशि या अन्य विशिष्ट प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(हस्ताक्षर)

(एम॰ए॰ए॰खान)
सचिव

(एस॰आर॰लाखा)
उपाध्यक्ष

<u>अनुमोदित</u>

(अतुल कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय सं0 -2

विषय:- गोमती नगर योजना तथा लखनऊ-रायबरेली रोड के मध्य प्रस्तावित 60.0 मी0 चौड़े रिंग रोड एवं सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत उसके दोनों तरफ की भूमि का अर्जन ।

आख्या:- गोमती नगर योजना तथा लखनऊ-रायबरेली रोड के बीच 60.0 मी0 चौड़ी रिंग रोड को निर्मित करने की घोषणा महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की गयी है । प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में रिंग रोड के निर्माण तथा गोमती नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 21.12.95 को एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि लखनऊ-फैजाबाद मार्ग तथा लखनऊ-रायबरेली मार्ग के मध्य रिंग रोड का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर व लखनऊ-रायबरेली रोड के मध्य अपनी आवासीय योजना के लिए जो भूमि अधिग्रहीत कर रहा है, उसके साथ-साथ रिंग रोड के लिए भी भूमि अधिग्रहीत करे । यह भी निर्णय लिया गया था कि रिंग रोड पर आने वाली भूमि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करा दी जायगी एवं रिंग रोड की भूमि के प्रतिकर का भुगतान प्राधिकरण को किया जायेगा । इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि अर्जन की कार्यवाही व आवश्यकतानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण दिनांक 31 मार्च, 1996 तक पूरी कर लेगा । (बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्नक-1 पर संलग्न है)

दिनांक 15.2.96 को महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में [illegible] के अन्तर्गत लखनऊ के विकास की समीक्षा की गयी थी , जिसमें इस बिन्दु पर विचार-विमर्श हुआ था एवं बैठक में निर्णय लिया गया था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर व लखनऊ-रायबरेली रोड के मध्य रिंग रोड हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही तत्काल पूरी की जाय ।

विभिन्न स्तरों पर लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के अधिकारियों के साथ रिंग रोड के एलाइनमेन्ट के सम्बन्ध में बैठक हुई है । बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार दिनांक 7.2.96 को उपरोक्त विभागों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया तथा रिंग रोड का एलाइनमेन्ट एवं अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का चयन किया गया। निरीक्षण टिप्पणी की फोटोप्रति संलग्नक-2 पर संलग्न है। इसके पश्चात दिनांक 8.2.96 को प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, निदेशक मण्डी परिषद, प्रबन्ध निदेशक सेतु निगम व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे । उपरोक्त बैठक में रिंग रोड के चयनित एलाइनमेन्ट को कुछ सुझाव के साथ अनुमोदित किया गया। बैठक की कार्यवृत्ति संलग्नक-3 पर संलग्न है। इस बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में पुनः दिनांक 8.2.96 को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जिसकी निरीक्षण आख्या संलग्नक-4 पर संलग्न है । सेतु निगम व लोक निर्माण विभाग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार पुल का निर्माण गोमती नदी पर ऐसे स्थान पर कराने का निर्णय लिया गया जहाँ रिंग रोड गोमती नदी को लम्बवत पार करती है । ऐसा करने से प्रस्तावित रिंग रोड कुछ पूरब की तरफ हट गयी है ।

क्रमश.......

लखनऊ महायोजना में जो रिंग रोड दर्शायी गयी है उसके पूरब में 450 मी0 चौड़ाई तक आवासीय प्रयोग रखा गया है । अनियोजित ढंग से अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए तथा रिंग रोड का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि रिंग रोड के चयनित एलाइनमेन्ट से 450 मी0 दूरी तक (पूरब में) भूमि अर्जित की जाय । रिंग रोड के एलाइनमेन्ट लोक निर्माण विभाग व सेतु निगम आदि विभागों के अधिकारियों द्वारा चयन के उपरान्त पूरब की ओर हट गया है , अतः उसी के अनुसार कुछ अधिक भूमि अर्जित की जानी होगी, जिसका भू-उपयोग महायोजना में कृषि/जंगल दर्शाया गया है ।

गोमती नगर व लखनऊ-सुल्तानपुर रेलवे लाइन के मध्य रिंग रोड के निर्धारित एलाइनमेन्ट के पूरब में 450 मीटर चौड़ी पट्टी तथा पश्चिम में कैन्टोन्मेन्ट तक एवं लखनऊ-सुल्तानपुर रेलवे लाइन व रायबरेली रोड के मध्य पी0जी0आई0 तक भूमि अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस क्षेत्र की भूमि अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव है, उसमें मास्टर प्लान के अनुसार एक भाग आवासीय (आर-2), एक भाग कम घनत्व का आवासीय (आर-4), एक भाग क्रीड़ा तथा कुछ कृषि भूमि है । योजना को इकोनॉमिकली वायबिल रखने के कारण कुछ सीमा तक भू-उपयोग के परिवर्तन की भी आवश्यकता होगी । प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत आवास विकास परिषद द्वारा पहले से ही अधिग्रहीत भूमि तथा अन्य विभागों की भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया है । अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का संक्षिप्त विवरण ग्रामवार निम्न प्रकार है :-

ग्राम	प्रकाशित की जाने वाली भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि (एकड़ में)	आबादी/मरघट आदि (एकड़ में)	अन्य विभाग की भूमि (एकड़ में)
देवतमऊ	78.17	–	–	–
उजरियांव	750.53	31.22	–	–
मकदूमपुर	352.62	23.42	7.67	–
दुरसड़िया	45.33	1.00	–	–
हरिहरपुर	626.91	32.02	14.27	–
गोयला	43.06	5.09	–	–
मुजफ्फरनगर घुसड़ी	95.40	18.66	4.46	–
अरौरा	18.33	–	–	–
पुरसैनी कला	34.81	0.380	–	–
मल्हौर	178.96	8.54	5.91	14.54
इब्राहिमपुर	209.63	7.43	24.57	–
चिनहटा	45.64	9.41	–	4.74
कल्ली पश्चिम	135.25	140.25	2.63	–
बगौली मलीनाबाद	851.50	23.05	7.15	39.41
सरसवां	933.40	67.68	21.88	231.03

क्रमशः 18 पर

मलेसेमऊ	453.72	108.98	21.71	-
पुरुषनगर	30.40	0.50	-	-
भकुरपुर	104.26	11.05	7.31	2.36
अहमामऊ	390.45	17.69	9.88	1.69
चाचामऊ	42.73	3.95	2.80	-
अरदौनामऊ	370.18	28.72	3.83	-
कुल योग	5791.28	539.04	134.07	293.77

महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा तत्काल रिंग रोड का निर्माण करने की घोषणा की गयी है अतः भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम धारा-17 के प्राविधानों सहित धारा-4 व 6 की विज्ञप्तियाँ प्रकाशित करने का प्रस्ताव है ।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में 10000 एकड़ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 मई, 1995 में रखा गया था, जिसमें निम्न निर्णय लिया गया था

> "अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी , जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी-लखनऊ, विशेष सचिव-आवास, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सदस्य होंगें । यह समिति अधिग्रहण हेतु भूमि का चयन करेगी । इस समिति के संयोजक उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 होंगें"

इसके पश्चात इस समिति द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है । इसी मध्य महामहिम श्री राज्यपाल की घोषणा व प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि भूमि अर्जन की कार्यवाही 31 मार्च, 1996 तक पूरी कर ली जाये । समिति के सभी सदस्य प्राधिकरण के भी सदस्य हैं, अतः महामहिम श्री राज्यपाल की घोषणा व प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में यह विषय सीधे प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

प्रस्ताव

> "उपरोक्त विवरण के साथ भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17 के प्राविधानों सहित धारा-4 व 6 की विज्ञप्तियाँ प्रकाशित करने व आवश्यकता व नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने के अनुमोदन हेतु विषय प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है"

संलग्नक - 1

दिनांक 21.12.95 को पूर्वान्ह 11 बजे प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में फैजाबाद रोड को सुल्तानपुर रोड व रायबरेली रोडसेमिलाने वाली रिंग रोड तथा पुल के निर्माण के सम्बन्ध में हुई बैठक की कार्यवृत्ति ।

उपरोक्त बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे : –

(1) श्री हरीश चन्द्र गुप्ता, प्रमुख सचिव, ल0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ ।
(2) श्री एस0एन0 झा, सचिव, श्री राज्यपाल ।
(3) श्री अतुल कुमार गुप्ता, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
(4) श्री अनीस अन्सारी, सचिव, कृषि ।
(5) श्री एस0आर0 लाखा, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
(6) श्री के0पी0 सिंह, विशेष सचिव, आवास ।
(7) श्री प्रभुनाथ मिश्रा, निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद ।
(8) श्री डी0एस0 चत्रा, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम, लखनऊ ।
(9) श्री ललित किशोर, मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0, लखनऊ ।
(10) श्री आर0आर0 चौधरी, मुख्य अभियन्ता, ल0नि0वि0, लखनऊ ।
(11) श्री एस0बी0 मिश्र, अधिशासी अभियन्ता, ल0वि0प्रा0, लखनऊ ।

उक्त बैठक में निम्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ : –

बाहरी रिंग रोड का निर्माण:

(1) विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि फैजाबाद रोड को गोमती नगर होते हुए सुल्तानपुर रोड व रायबरेली रोड से मिलाने वाली रिंग रोड का निर्माण किया जाए । उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि फैजाबाद रोड से उत्तर रेलवे लाइन तक सड़क का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है तथा उत्तर रेलवे लाइन पर लेवेल क्रासिंग के निर्माण हेतु उत्तर रेलवे को धन उपलब्ध कराया जा चुका है, अतः यह निर्णय लिया गया कि उत्तर रेलवे लाईन से रायबरेली रोड तक अवशेष सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा ।

(2) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि गोमती नगर और सुल्तानपुर रोड के बीच लगभग 1200 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव है एवम् इसी भूमि से होकर रिंग रोड गुजरेगी । विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इस 1200 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही एवम् आवश्यकतानुसार भू उपयोग तथा डेन्सिटी परिवर्तन की कार्यवाही 31 मार्च 96 तक पूरी कर लेगा । जितने क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जित की जाएगी उस क्षेत्र में पड़ने वाली रिंग रोड

26.12.95

क्रमशः.....2

की भूमि प्राधिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जाएगी एवम् लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जन पर होने वाला व्यय लखनऊ विकास प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा । यह भी निर्णय लिया गया कि जिस क्षेत्र में भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिग्रहीत नहीं कर रहा है उस क्षेत्र में रिंग रोड की भूमि का अर्जन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

<u>आउटर रिंग रोड तथा गोमती नदी पर पुल का निर्माण:</u>

1. प्रस्तावित आउटर रिंग रोड को गोमती नदी एक स्थान पर क्रास करती है, अतः यह निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर दो लेन का एक पुल बनाया जाए जिसमें भविष्य में दो लेन और बनाने का प्राविधान रहे । बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस पुल पर व्यय होने वाली समस्त धनराशि उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को उपलब्ध करायी जाएगी । इस बिन्दु पर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद व सचिव, कृषि ने सहमति व्यक्त की ।

2. यह भी निर्णय लिया गया कि पुल के निर्माण के उपरान्त टोल टैक्स की वसूली उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा किए जाने पर भी विचार किया जाए ।

3. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा इस पुल का निर्माण 30.6.97 तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा सेतु निगम एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा । यह भी निर्णय हुआ कि यदि प्राजेक्ट में विलम्ब हुआ तो किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि की उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का नहीं होगा । एवम् यह मूल्य वृद्धि लोक निर्माण विभाग द्वारा अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा वहन की जाएगी ।

<u>ला-मार्टीनियर स्कूल के पास गोमती नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण:</u>

1. उपरोक्त पुल के निर्माण के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ । श्री बन्सा द्वारा प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को यह बताया गया कि इस पुल के निर्माण के लिए रेलवे विभाग द्वारा कुछ आपत्ति की जा रही है । सम्भवतः रेलवे विभाग द्वारा निश्चित दूरी के अन्दर पुल बनाने पर अनापत्ति नहीं दी जा रही है, अतः यदि प्रस्तावित पुल को रेलवे लाइन से 400 मीटर से अधिक दूरी पर रखा जाए तो रेलवे से अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी । विचार विमर्श के उपरान्त आयुक्त लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, एवम् मुख्य अभियन्ता {बाढ़} सिंचाई विभाग की एक समिति बनाई गई एवम् यह निर्णय लिया गया कि

क्रमशः 3

यह समिति अपने स्तर पर बैठक करके व स्थल निरीक्षण करके प्रस्तावित पुल के स्थल को अन्तिम रूप देगी तथा यह भी सुझाव दिया गया कि उत्तर रेलवे के स्थानीय अधिकारी को बैठक में विशेष आमन्त्री के रूप में बुला लिया जाए । उपरोक्त समिति द्वारा पुल के स्थल चयन के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति दिनांक 15.1.96 तक प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को उपलब्ध कराई जायेगी।

2. यह भी निर्णय लिया गया कि दो लेन के इस पुल पर होने वाला व्यय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा ।

3. बैठक में प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल द्वारा यह निर्देश दिया गया कि पुल के आस पास जो लो लाईंग एरिया बन जाती है एवं यदि उसका भू-उपयोग ग्रीन बेल्ट नहीं है तो उसमें बहुमंजिले [illegible] भवनों का ही निर्माण किया जाए ।

यह भी निर्णय लिया गया यदि उपरोक्त समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण हो जाती है तो दिनांक 26 जनवरी 1996 को पुल का शिलान्यास करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा ।

26.12.95

। एस0आर0 लाखा ।
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

<u>अनुमोदित</u>

। सुशील चन्द्र त्रिपाठी ।
प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश ।

28/12 — पर शीघ्र सभी स्तर पर कार्यवाही पूर्ण करने की अपेक्षा की गई है ।

संलग्नक-2

लखनऊ में प्रस्तावित रिंग मार्ग व गोमती नदी पर सेतु के स्थान के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण टिप्पणी

दिनांक 7.2.96 को फैजाबाद मार्ग के कि0 मी0 8.50 से लखनऊ सुल्तानपुर रोड एवं लखनऊ रायबरेली रोड होते हुए लखनऊ कानपुर मार्ग के बीच प्रस्तावित रिंग मार्ग के एलाइनमेन्ट का निम्न अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रातः 10.0 बजे से सायः 4.30 बजे तक किया गया ।

1. श्री भूपेन्द्र सिंह, अपर सचिव, लो0 नि0 वि0 प्रा0
2. श्री ललित किशोर, मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 प्रा0
3. श्री सी0 एम0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 वि0
4. श्री आर0 एन0 माटनागर, महाप्रबन्धक, उ0 प्र0 सेतु निगम,
5. श्री एस0 बी0 मिश्र, अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 प्रा0
6. श्री आर0 के0 माथुर, अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 वि0
7. श्री आर0 एस0 दिवाकर, अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 प्रा0
8. श्री एम0 ए0 सिद्दीकी, सहायक अभियन्ता, लो0 नि0 वि0
9. श्री तिवारी, सहायक अभियन्ता मण्डी परिषद,
10. श्री हुण्डी सिंह, अवर अभियन्ता, लो0 नि0 वि0

वर्तमान में लखनऊ फैजाबाद मार्ग कि0 मी0 8.50 से 60.0 मीटर भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नार्दन रेलवे लाइन (विराम खण्ड-5) तक निर्माणाधीन है, जिसकी पूरी लम्बाई 2.6 कि0 मी0 है और जिसे मानचित्र में ए - बी द्वारा दिखाया गया है । इस भाग में निर्माणाधीन मार्ग का एलाइनमेन्ट रिंग मार्ग के स्तर से उपयुक्त पाया गया, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके उपरान्त लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको रिंग मार्ग की विशिष्टियों के अनुरूप बनाया जाना होगा ।

इसके बाद कि0 मी0 2.6 से गोमती नदी तक का भाग जिसे मानचित्र में बी - सी द्वारा दिखाया गया है, जिस पर प्रस्तावित रिंग मार्ग की लम्बाई लगभग 3.5 कि0 मी0 है । इस निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण अभी नहीं हुआ है जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत करके लोक निर्माण विभाग को रिंग मार्ग निर्माण हेतु उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

.....2

गोमती नदी पर प्रस्तावित सेतु के निर्माण के लिए मण्डी परिषद द्वारा धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है पुल के स्थल चयन के सम्बन्ध में इससे पूर्व ही लोक निमार्ण विभाग तथा उ० प्र० राज्य सेतु निगम द्वारा गठित अधीक्षण अभियन्ताओं की समिति जिसमें सर्व, श्री सी० बी० सिंह, अधीक्षण अभियन्तालखनऊ/ रायबरेली, लो० निमार्ण विभाग व श्री एस०सी०चौहान अधीक्षण अभियन्ता -सेतु लोक निमार्ण विभाग एवं श्री आर० एन०भटनागर, महाप्रबन्धक उ० प्र० राज्य सेतु निगम लि०, द्वारा स्थल का चयन किया जा चुका है। कार्य स्थल पर उक्त चयनित स्थान पर झण्डियाँ लगी हुई थी।

गोमती नदी से दूसरी तरफ लखनऊ सुलतानपुर मार्ग की ओर रिंग मार्ग का प्रस्तावित एलाइनमेन्ट देखा गया जिसे मानचित्र में सी- डी द्वारा दिखाया गया है। लखनऊ सुलतानपुर मार्ग के कि० मी० 11.600 संजीवनी आश्रम के निकट मिलता है। इस भाग की लम्बाई लगभग 2.0 कि० मी० होगी। इस एलाइनमेन्ट को समिति द्वारा रिंग मार्ग के निमार्ण हेतु उपयुक्त पाया गया। इस भाग के लिए भी भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत करके लोक निमार्ण विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है।

लखनऊ सुलतानुपुर मार्ग से लखनऊ रायबरेली मार्ग के बीच प्रस्तावित रिंग मार्ग का एलाइनमेन्ट लखनऊ नगराम मार्ग के कि० मी० 2.0 पर स्थित रेलवे समपार संख्या सी- 204/2 से लखनऊ रायबरेली रेलवे लाइन को पार करके लखनऊ रायबरेली मार्ग की कि० मी० 11.600 से 11.800 के बीच नहर की पटरी पर मिलता है, जिसे मानचित्र में डी०ई० एफ० द्वारा दिखाया गया है। इस भाग की लम्बाई लगभग 7.5 कि० मी० है, इसे समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया। इस भाग के लिए भी भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत करके लोक निमार्ण विभाग को हस्तानान्तरित करने का प्रस्ताव है।

लखनऊ रायबरेली मार्ग व लखनऊ कानपुर मार्ग के बीच वर्तमान में शारदा नहर की पटरी पर 7.0 मी० चौड़ी पेन्टेड सड़क बनाकर लोक निमार्ण विभाग द्वारा रिंग मार्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जिसे मानचित्र में एफ आई. द्वारा दिखाया गया है।

भविष्य में यातायात की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 45.0 मी० चौड़ी भूमि पर निर्माणाधीन मार्ग को जो अम्बेडकर यूनीवर्सिटी से होता हुआ ट्रान्सपोर्ट नगर होते हुए कानपुर रोड पर मिलता है और जिसे मानचित्र में जी० एच० द्वारा दिखाया गया है रिंग रोड के रूप में अधिक उपयोगी होगा, जिससे फैजाबाद/सुलतानपुर /रायबरेली की ओर से

आने वाले यातायात को कानपुर रोड से सीधा सम्पर्क हो जायेगा । लखनऊ - कानपुर रोड से लखनऊ हरदोई मार्ग के बीच रिंग मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले ही निर्मित किया जा चुका है, जिसे मानचित्र में आई. जे. द्वारा दिखाया गया है ।

लखनऊ - हरदोई मार्ग एवं लखनऊ सीतापुर रिंग मार्ग के बीच प्रस्तावित रिंग मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है, जिसकी स्वीकृति अभी अपेक्षित है, इस भाग को मानचित्र में जे0 के0 द्वारा दिखाया गया है ।

इसके अतिरिक्त लखनऊ - सीतापुर मार्ग से लखनऊ - कुर्सी मार्ग होते हुए लखनऊ फैजाबाद मार्ग तक के बीच रिंग मार्ग का निर्माण पहले ही पूर्ण हो चुका है, जिसे मानचित्र में के0 एल0, एम0 द्वारा दिखाया गया है ।

§ सहायक अभियन्ता §
मण्डी परिषद

§ एस0 बी0 मिश्र §
अधीक्षण अभियन्ता,
ल0 वि0 प्रा0

§ सी0 बी0 सिंह §
अधीक्षण अभियन्ता,

ललित किशोर

§ ललित किशोर §
मुख्य अभियन्ता,
ल0 वि0 प्रा0

§ भूपेन्द्र [illegible] §
अतिरिक्त सचिव
ल0 वि0 प्रा0

(श्रीपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव
ल. वि. प्रा.

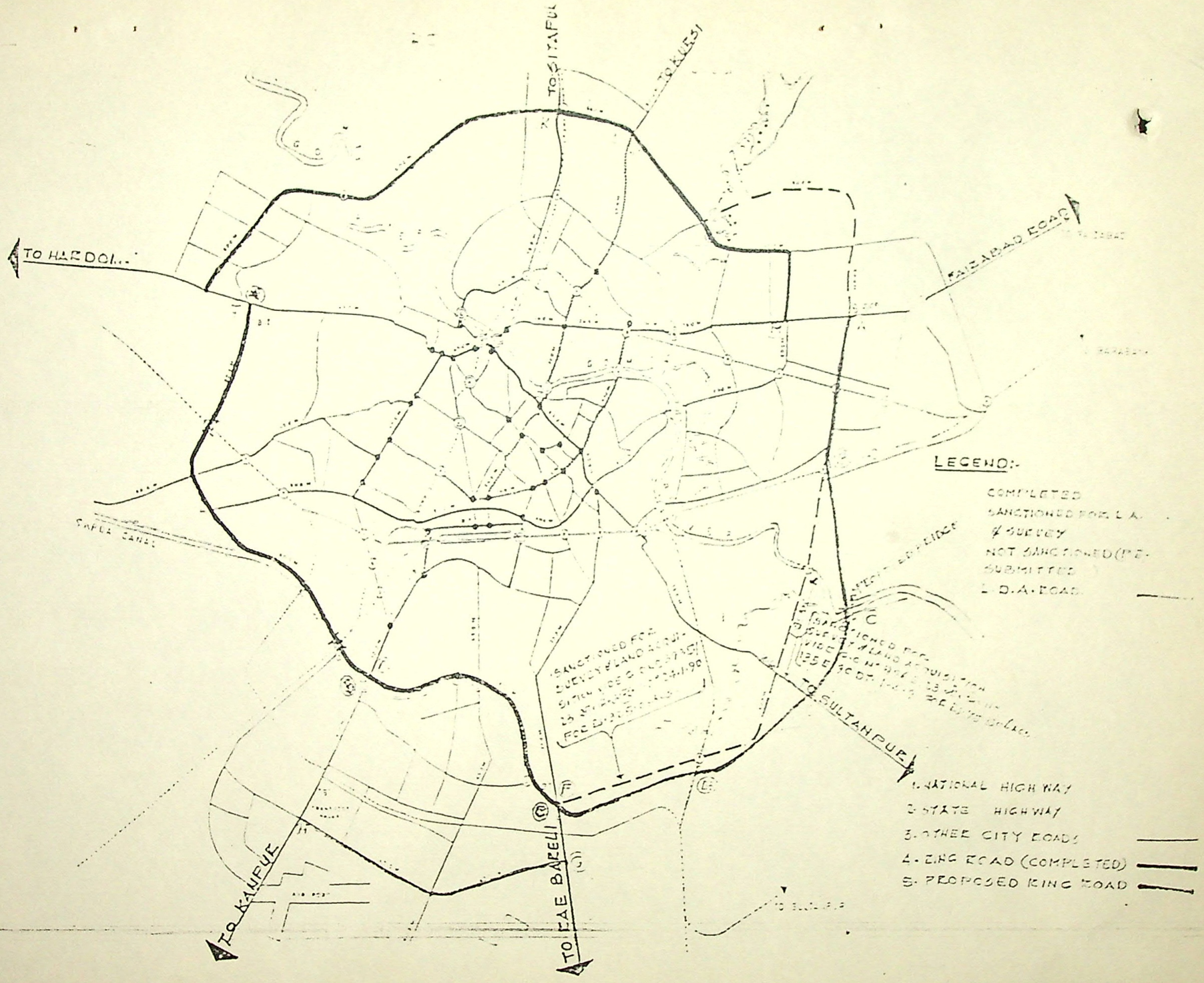

TO HARDOI
TO SITAPUR
TO KURSI
FAIZABAD ROAD
SULTANPUR
TO RAE BARELI
TO KANPUR
LEGEND:-
COMPLETED
SANCTIONED FOR L.A.
& SURVEY
NOT SANCTIONED (P.E.
SUBMITTED
L.D.A. ROAD
1. NATIONAL HIGHWAY
2. STATE HIGHWAY
3. OTHER CITY ROADS
4. RING ROAD (COMPLETED)
5. PROPOSED RING ROAD

संलग्नक - 3

गंगादीन यादव
उपाध्यक्ष

अर्धशा०प०सं०:

लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

दिनांक: फरवरी, 1996

प्रिय महोदय,

दिनांक: 8 फरवरी, 1996 को प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में आउटर रिंग रोड व गोमती नदी पर पुल के सम्बन्ध में हुई बैठक का कार्यवृत्त की प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

सादर भवदीय,

(गंगादीन यादव)

1. श्री हरीश चन्द्र गुप्ता,
   प्रमुख सचिव,
   लो०नि०वि०।
2. श्री आर०पी० सिंह,
   विशेष सचिव,
   लो०नि०वि०।
3. श्री पी०एन० मिश्र,
   निदेशक,
   उ०प्र० राज्य कृषि उत्पादन एवं मण्डी परिषद।
4. श्री डी०एस० वर्मा,
   प्रबन्ध निदेशक,
   उ०प्र० राज्य सेतु निगम।
5. श्री आर०आर० चौधरी,
   मुख्य अभियंता,
   लो० नि० वि०।
6. श्री डी०पी० सिंह,
   अधीक्षण अभियंता,
   लो०नि०वि०।
7. श्री पी०के० अग्रवाल,
   महाप्रबन्धक,
   उ०प्र० राज्य सेतु निगम।
8. श्री आर०के० माथुर,
   अधिशासी अभियंता,
   लो०नि०वि०।

2. विचार-विमर्श के उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि फैजाबाद रोड से गोमती नदी पर प्रस्तावित पुल तक लो०नि०वि० द्वारा चार लेन सड़क का निर्माण करेगा। पुल से सुल्तानपुर रोड तक दो लेने निर्मित की जाये एवं दो लेन का और प्राविधान हो।

3. पुल के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ एवं यह निर्णय लिया गया कि [illegible] के साथ दो लेन का पुल अथवा 3 लेन का पुल निर्मित किया जाय, जिसमें भविष्य में दो और लेन बनाने का प्राविधान हो।

4. भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि धारा-6 की विज्ञप्तियाँ प्रकाशित करा दी जाय एवं यह भी निर्णय लिया गया कि 19 फरवरी, 1996 तक भूमि [illegible] का [illegible] लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को [illegible] कर दिया जाय।

5. हरदोई रोड [illegible] से सीतापुर रोड के बीच प्रस्तावित रिंग रोड के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई एवं प्रमुख सचिव आवास को अवगत कराया गया कि यह भूमि प्राधिकरण द्वारा पहले ही अर्जित की जा चुकी है। मुख्य अभियंता लो०नि०वि० ने बताया कि इस भूमि पर अनाधिकृत निर्माण काफी है अतः इन्हें हटाना उचित होगा। प्रमुख सचिव आवास ने निर्देश दिया गया सड़क के एलाइनमेन्ट पर प्राधिकरण की अर्जित भूमि से अनाधिकृत कब्जा हटा दिया जाय।

(गंगादीन यादव)
उपाध्यक्ष।

अनुमोदित,

(एस०पी० सिंह)
प्रमुख सचिव
आवास
उत्तर प्रदेश शासन।

संलग्नक 4

दिनांक 8-2-96 को प्रमुख सचिव आवास, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सुल्तानपुर एवं रायबरेली मार्ग के बीच प्रस्तावित आउटर रिंग रोड के वैकल्पिक एलाइनमेन्ट का संयुक्त निरीक्षण टिप्पणी

लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग से लखनऊ-रायबरेली मार्ग के बीच प्रस्तावित आउटर रिंग मार्ग के एलाइनमेन्ट के दूसरे विकल्प को दिनांक 8-2-96 को देखा गया जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

1- श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

2- श्री सी0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, ल0/रा0, लो0नि0वि0, लखनऊ।

3- श्री एस0बी0 मिश्र, अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

4- श्री आर0के0 माथुर, अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 ख0, लो0नि0वि0, लखनऊ।

5- श्री [illegible] सिंह, अवर अभियन्ता, प्रा0 ख0, लो0नि0विभाग, लखनऊ।

1- यह वैकल्पिक एलाइनमेन्ट लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग के कि0मी0 11.000 से चलकर उतरठिया रेलवे स्टेशन के बाद लखनऊ-सुल्तानपुर व लखनऊ-रायबरेली रेलवे लाइनों को पार करके लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर पी0जी0आई0 के बाद कि0मी0 16.000 में मिलेगा। इस प्रस्तावित रिंग मार्ग की अनुमानित लम्बाई 10.250 कि0मी0 होगी। जिसे ड्राइंग-1 जी-1 से दर्शाया गया है।

2- इस एलाइनमेन्ट को इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग की कालोनी के तुरन्त बाद और उतरठिया रेलवे स्टेशन के पहले इसमार्ग को रायबरेली मार्ग में मिलाया जाता है तो यह लखनऊ-रायबरेली मार्ग के कि0मी0 13.000 में मिलेगा (जिसे ... से दर्शाया गया है)। यह एलाइन-मेन्ट भी रेलवे लाइन दो जगह पार करेगा और रायबरेली रोड पर लगभग चार-पांच पक्के मकान आयेंगे तथा इसकी लम्बाई लगभग 8.250 कि0मी0 होगी।

3- यह दोनों प्रस्ताव सिंचाई विभाग की आरक्षित भूमि से होकर जायेंगे जो कि बाउन्ड्री वॉल से घिरा हुआ है।

इन दोनों प्रस्तावित मार्गों से लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर पहुँचने के बाद क्रमशः 4.00 कि0मी0 एवं 1.00 कि0मी0 लखनऊ की ओर वापस चलने के बाद इस मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग के बीच निर्माणाधीन एल0डी0ए0 की 45 मीटर भूमि पर बनाये जा रहे मार्ग का उपयोग हो सकेगा।

जबकि दिनांक 7-2-96 को लखनऊ विकास प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा दर्शित एलाइनमेंट से लखनऊ-रायबरेली मार्ग के कि0मी0 11.000 से मिलने के बाद लगभग 1.00 कि0मी0 बाद ही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन उपरोक्त मार्ग मिल जायेगा।

इसके अतिरिक्त इस पूर्व दर्शित एलाइनमेन्ट में केवल एक ही स्थान पर रेलवे लाइन पार करना होगी। जबकि दिनांक 8-2-96 को देखे गये एलाइनमेन्टों में रेलवे लाइन दो जगह क्रास करनी होगी।

(ललित किशोर मेहरोत्रा)
मुख्य अभि0, ल0वि0प्रा0, लखनऊ

(सी0पी0 सिंह)
अधी0अभि0, ल0/रा0 वृत्त

(एस0बी0 मिश्र)
अधी0अभि0
ल0वि0प्रा0

[illegible]

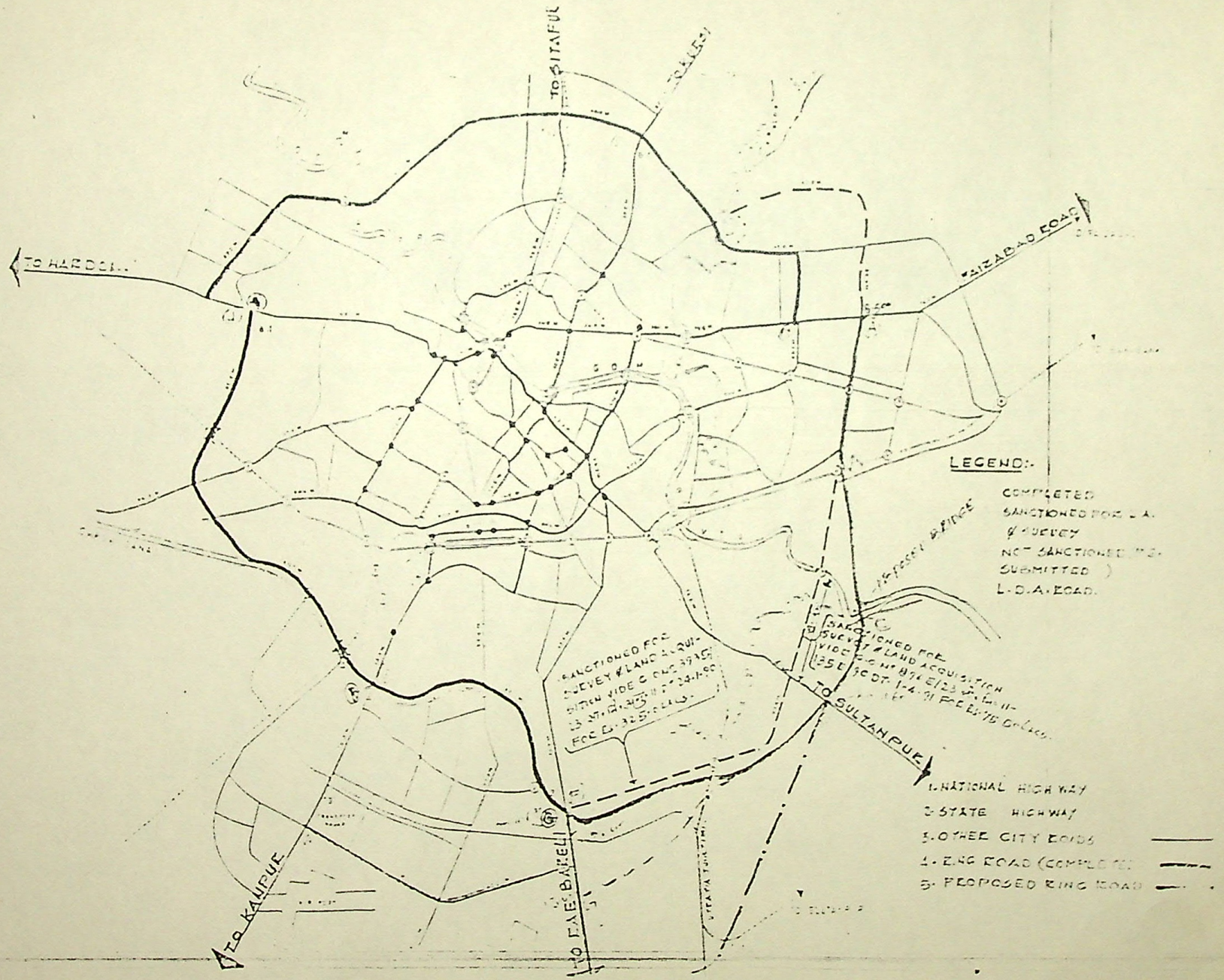

TO HARDOI
TO SITAPUR
FAIZABAD ROAD
TO SULTANPUR
TO KANPUR
LEGEND:-
COMPLETED
SUBMITTED)
L.D.A. ROAD.
SANCTIONED FOR
1. NATIONAL HIGH WAY
2. STATE HIGHWAY
3. OTHER CITY ROADS
5. PROPOSED RING ROAD

विषयः ताज होटल के समीप गोमती नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण बी0ओ0टी0 के आधार पर करने के सम्बन्ध में ।

आख्या:-

महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 21.12 .95 को एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि लखनऊ, फैजाबाद मार्ग व लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर रिंग रोड का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा तथा इस रोड को जिस स्थान पर गोमती नदी क्रास करती है, वहाँ पर पुल के निर्माण हेतु मण्डी परिषद द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी यह भी निर्णय लिया गया था कि गोमती नगर में गोमती नदी पर जो पुल प्रस्तावित है, उसके निर्माण हेतु धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी । बैठक के कार्यवृत्ति की फोटो प्रति संलग्न है । इस सम्बन्ध में दिनांक 5.1.96 को आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी एवं उसमें यह निर्धारित किया गया था कि शासन द्वारा गठित स्थल चयन समिति स्थल का निरीक्षण करके पुल का स्थल निर्धारित कर दे, उसके पश्चात् स्थल चयन समिति जिसके सदस्य अधीक्षण अभियनता, लोक निर्माण विभाग, महा प्रबन्धक सेतु निगम हैं व लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि गोमती नदी पर ताज होटल के पास पुल निर्मित किया जाये ।

दिनांक 22.1.96 को महामहिम राज्यपाल द्वारा गोमती नदी पर ताज होटल के पास प्रस्तावित पुल का शिलान्यास किया गया एवं यह घोषणा की गई कि इस पुल का निर्माण एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा । इस प्रोजेक्ट में पुल का निर्माण, पुल के दोनों तरफ से एप्रोच रोड का निर्माण तथा ताज होटल के तरफ नदी के किनारे निर्मित सड़क के ऊपर वायाडक्ट का निर्माण सम्मिलित है, जिस पर 7--8 करोड़ रुपये का व्यय सम्भावित है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यदि प्राधिकरण के स्रोतों से इस पुल का निर्माण किया जाता है तो वित्त की कमी के कारण प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित होंगी ।

दिनांक 5.2.96 को प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में इस पुल के निर्माण के सम्बन्ध में बैठक हुई थी, जिसमें श्री सिराज अहमद, सचिव प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा तथा कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (इण्डिया) प्रा0 लिमिटेड के एशोसिएट डायरेक्टर श्री पी0के0 दत्ता तथा प्रोजेक्ट मैनेजर श्री आलोम भौमिक को विशेष रूप आमन्त्रित किया गया था । श्री सिराज अहमद पूर्व में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के प्रबन्ध निदेशक रहे हैं एवं इन्हें इस तरह के कार्यों का काफी अनुभव है । इस बैठक में कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज के अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस पुल का निर्माण बी0ओ0टी0 के आधार पर किया जा सकता है । उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि बाहरी रिंग रोड भी दो-तीन वर्षों में बन कर तैयार हो

............31

जायेगी उसके पश्चात् भारी वाहन बाहरी रिंग रोड से निकलेंगे, जिसके कारण इस प्रस्तावित पुल पर भारी वाहनों का आवागमन नहीं रह जायेगा, परन्तु जब तक बाहरी रिंग रोड का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक भारी वाहनों का आवागमन भी इसी पुल से होगा । प्रस्तावित पुल की निर्माण अवधि एक वर्ष के उपरान्त बाहरी रिंग रोड पर पुल तैयार होने में लगभग दो वर्ष का ही समय बचेगा । अतः इस पुल से भारी वाहन पुल निर्माण होने के उपरान्त दो वर्षों तक ही गुजरेंगे, उसके पश्चात् भारी वाहन बाहरी रिंग रोड से गुजरेंगे अतः यदि बी0ओ0टी0 के आधार पर प्रमोटर को टोल टैक्स वसूलने को कहा जाये तो भी बाहरी रिंग रोड पर पुल निर्मित हो जाने के उपरान्त इस पुल से सम्भवतः टोल–टैक्स की इतनी वसूली नहीं हो पायेगी, जितनी धनराशि उसके रख रखाव व लागत पर ब्याज आदि के लिए आवश्यक होगी । विचार विमर्श में यह भी तय पाया गया कि पुल के शहर में स्थित होने के कारण भारी वाहन के लिए टोल–टैक्स अधिकतम 21/– रुपया, हल्के वाहने के लिये अधिकतम 10/– रुपये ही रखा जा सकता है । इस प्रकार कन्सल्टेंट ने यह सुझाव दिया कि प्रमोटर के लिए यह पैकेज वायुबल नहीं हो पायेगा । कन्सल्टेंट ने यह सुझाव दिया कि इस पैकेज में लखनऊ विकास प्राधिकरण कोई ऐसा आकर्षण रखे जिससे यह पैकेज वायुक्त बन सके ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं इस स्थिति में नहीं है कि इस पैकेज को आकर्षित बनाने हेतु कोई भूमि आदि प्रमोटर को दिया जाये । ऐसी परिस्थिति में विचार–विमर्श के उपरान्त यह तय किया गया कि यदि प्रमोटर अपने श्रोत्रों से इस प्रोजेक्ट के आस–पास भूमि प्राप्त करता है तो उसका उपयोग कामार्शियल में परिवर्तित करने पर विचार किया जा सकता है जिससे प्रमोटर इस भूमि से अतिरिक्त लाभ उठाकर योजना को वायुक्त बना सके ।

विचार–विमर्श के उपरान्त बैठक में यह भी तय किया गया कि इस पुल को दो लेन के स्थान पर चार लेन का बनाया जाये जिससे अगले 40–45 वर्षों तक शहर के अन्दर आने वाले वाहनों को समुचित सुविधा प्राप्त हो सके । इस चार लेन के पुल का निर्माण, दोनों तरफ से एप्रोच रोड जिसकी लम्बाई लगभग 3.5 कि0मी0 होगी तथा वायाडक्ट के निर्माण एवं आगामी वर्षों में इसके रख रखाव पर आने वाली लागत को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम् 25 एकड़ भूमि का भू–उपयोग कामर्शियल करने पर विचार किया जायेगा । उत्तर प्रदेश में अभी तक बी0ओ0टी0 के आधार पर कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया है अतः यदि इस प्रोजेक्ट में कुछ इन्सेंटिव देकर यह प्रोजेक्ट बी0ओ0टी0 के रूप में सफल होता है तो आगामी वर्षों में काफी प्रमोटर प्रदेश में पूँजी निवेश करके विकास में सहयोग करेंगे ।

चार लेन का पुल, एप्रोच रोड, वायाडक्ट के निर्माण व आगामी वर्षों में रख रखाव को दृष्टिगत रखते हुए इस पुल से 25 वर्षों तक टोल–टैक्स की वसूली प्रमोटर को सौंपी जा सकती है, परन्तु टोल–टैक्स की दरों का पुर्निर्धारण प्राधिकरण की सहमति पर प्रत्येक तीन वर्षों पर किया जायेगा ।

बैठक में निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त प्रोजेक्ट बी0ओ0टी0 पर निर्मित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर दी जाये । अतः प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 28.2.96 को बिड आमन्त्रित करने हेतु सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा चुकी है, जिसकी प्रति संलग्न है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसका परीक्षण किया जायेगा । तत्पश्चात् अन्तिम निर्णय लेने हेतु विषय प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

: प्रस्ताव :

उपरोक्त विवरण के अनुसार चार लेन का पुल, लगभग 3.5 कि0मी0 एप्रोच रोड तथा वायाडक्ट का निर्माण बी0ओ0टी के आधार पर कराने तथा अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान करने एवं बिड डाकूमेन्ट के अनुमोदन हेतु विषय प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक 21.12.95 को पूर्वाह्न 11 बजे प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में फैजाबाद का सुल्तानपुर रोड व रायबरेली रोड से मिलाने वाली रिंग रोड तथा पुल के निर्माण के सम्बन्ध में हुई बैठक की कार्यवृत्ति ।

उपरोक्त बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :–

(1) श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ ।

(2) श्री एस0एन0 झा, सचिव, श्री राज्यपाल ।

(3) श्री अतुल कुमार गुप्ता, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।

(4) श्री अनीस अन्सारी, सचिव, कृषि ।

(5) श्री एस0आर0 लाखा, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

(6) श्री के0पी0 सिंह, विशेष सचिव, आवास ।

(7) श्री प्रभुनाथ मिश्रा, निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद ।

(8) श्री डी0एस0 बत्रा, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम, लखनऊ ।

(9) श्री ललित किशोर, मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0, लखनऊ ।

(10) श्री आर0आर0 चौधरी, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ ।

(11) श्री एस0डी0 मिश्र, अधिशासी अभियन्ता, ल0वि0प्रा0, लखनऊ ।

उक्त बैठक में निम्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ :–

बाहरी रिंग रोड का निर्माण:

(1) विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि फैजाबाद रोड को गोमती नगर होते हुए सुल्तानपुर रोड व रायबरेली रोड से मिलाने वाली रिंग रोड का निर्माण किया जाए । उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि फैजाबाद रोड से उत्तर रेलवे लाइन तक सड़क का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है तथा उत्तर रेलवे लाइन पर लेवेल क्रासिंग के निर्माण हेतु उत्तर रेलवे को धन उपलब्ध कराया जा चुका है, अतः यह निर्णय लिया गया कि उत्तर रेलवे लाईन से रायबरेली रोड तक अवशेष सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा ।

(2) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि गोमती नगर और सुल्तानपुर रोड के बीच लगभग 1200 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव है एवम् इसी भूमि से होकर रिंग रोड गुजरेगी । विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इस 1200 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही एवम् आवश्यकतानुसार भू उपयोग तथा [illegible] परिवर्तन की कार्यवाही 31 मार्च 96 तक पूरी कर [illegible] । [illegible] लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जित की जायेगी उस [illegible] में पड़ने वाली रिंग रो

क्रमशः

की भूमि प्राधिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जाएगी एवम् लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जन पर होने वाला व्यय लखनऊ विकास प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा । यह भी निर्णय लिया गया कि जिस क्षेत्र में भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिग्रहीत नहीं कर रहा है उस क्षेत्र में रिंग रोड की भूमि का अर्जन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

आउटर रिंग रोड तथा गोमती नदी पर पुल का निर्माण:

1. प्रस्तावित आउटर रिंग रोड को गोमती नदी एक स्थान पर क्रास करती है, अतः यह निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर दो लेन का एक पुल बनाया जाए जिसमें भविष्य में दो लेन और बनाने का प्राविधान रहे । बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस पुल पर व्यय होने वाली समस्त धनराशि उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को उपलब्ध करायी जाएगी । इस बिन्दु पर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद व सचिव, कृषि ने सहमति व्यक्त की ।

2. यह भी निर्णय लिया गया कि पुल के निर्माण के उपरान्त टोल टैक्स की वसूली उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा किए जाने पर भी विचार किया जाए ।

3. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा इस पुल का निर्माण 30.6.97 तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा सेतु निगम एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा । यह भी निर्णय हुआ कि यदि प्रोजेक्ट में विलम्ब हुआ तो किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का नहीं होगा । एवम् यह मूल्य वृद्धि लोक निर्माण विभाग द्वारा अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा वहन की जाएगी ।

ला-मार्टीनियर स्कूल के पास गोमती नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण:

1. उपरोक्त पुल के निर्माण के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ । श्री वन्ना द्वारा प्रमुख सचिव, श्री रामपाल को यह बताया गया कि इस पुल के निर्माण के लिए रेलवे विभाग द्वारा कुछ आपत्ति की जा रही है । सम्भवतः रेलवे विभाग द्वारा निश्चित दूरी के अन्दर पुल बनाने पर अनापत्ति नहीं दी जा रही है, अतः यदि प्रस्तावित पुल को रेलवे लाइन से 400 मीटर से अधिक दूरी पर रखा जाए तो रेलवे से अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी । विचार विमर्श के उपरान्त आयुक्त लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, एवम् मुख्य अभियन्ता (ड्रेनेज) सिंचाई विभाग की एक समिति बनाई गई एवम् यह निर्णय लिया गया कि

क्रमशः.......3

यह समिति अपने स्तर पर बैठक करके व स्थल निरीक्षण करके प्रस्तावित पुल के स्थल को अन्तिम रूप देगी तथा यह भी सुझाव दिया गया कि उत्तर रेलवे के स्थानीय अधिकारी को बैठक में विशेष आमन्त्री के रूप में बुला लिया जाए । उपरोक्त समिति द्वारा पुल के स्थल चयन के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति दिनांक 15.1.96 तक प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को उपलब्ध कराई जायेगी।

2. यह भी निर्णय लिया गया कि दो लेन के इस पुल पर होने वाला व्यय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा ।

3. बैठक में प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल द्वारा यह निर्देश दिया गया कि पुल के आस पास जो लो लाईंग एरिया बन जाती है एवं यदि उसका भू-उपयोग ग्रीन बेल्ट नहीं है तो उसमें बहुमंजिले भवनों का ही निर्माण किया जाए ।

यह भी निर्णय लिया गया यदि उपरोक्त समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण हो जाती है तो दिनांक 26 जनवरी 1996 को पुल का शिलान्यास करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा ।

26.12.95

(एस0आर0 लाखा)
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

अनुमोदित

(सुशील चन्द्र त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश ।

36

Your BRIDGE TO PROSPERITY

Build a bridge on one of the busiest routes in U.P. on BOT basis and open the doors of prosperity for yourself and the whole region.

Lucknow Development Authority
invites
bids from Reputed Firms,
Corporations, Promoters & Builders for construction of a bridge across river Gomti, near Taj Hotel on BOT basis.

Salient Features

- ★ The proposal includes construction of a four lane bridge with 3.5 km approach road.
- ★ Land for the road will be provided free of cost by LDA
- ★ Permission for commercial use of 25 acres of land adjacent to the road will be provided by the LDA to the bidder/promoter but ownership rights will be acquired by the bidder himself.
- ★ If need be LDA will be willing to be associated as co-promoters by participating in equity
- ★ All heavy and light vehicles of Trans Gomti area between [illegible] and Lucknow will pass over this bridge.
- ★ Toll tax of upto Rs 20/- from heavy vehicles and upto Rs 10/- from light vehicles may be charged by the operator. In future this tax may be increased.
- ★ Traffic survey of September 1995, provides that 15000 cars, 4000 trucks, 2600 bus, 2500 tempo & 300 tractors pass over Gomti Barrage everyday.
- ★ The bidder/promoter should have adequate technical expertise and experience of successfully completing atleast two projects of similar nature of atleast Rs 10 crores each.
- ★ The property shall revert back to LDA after 25 years

How to apply

Bid documents and other details can be had from the office of Chief Engineer,LDA upto 3 P.M. on 27-02-96

Bids may be deposited in the tender box placed in the office of chief engineer upto 3 p.m. of 28.02.96

Promoters/Bidders will submit the following :-

1. Credentials/Details of the firm
2. Income tax certificate
3. List of technical staff
4. List of machine tools
5. Details of job executed in the last five years
6. Details of on going projects
7. Details of Bankers
8. Details of financial standing (solvency) certificate
9. Bank Draft of Rs. 1 lakh in favour of Vice Chairman Lucknow Development Authority

Key Plan

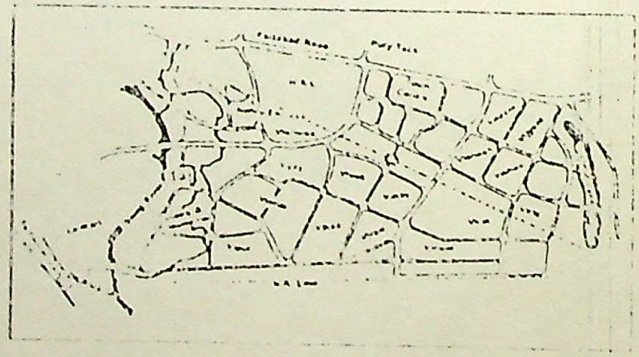

Gangadin Yadav (I.A.S)
Vice Chairman

Lalit Mehrotra
Chief Engineer

Lucknow Development Authority
6, Jagdish Chandra Bose Marg, Lucknow-226001, Fax 225468, Ph 226556

40
37

BOT TENDER DOCUMENTS

ROAD BRIDGE OVER RIVER GOMTI, LUCKNOW

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
6, Jagdish Chandra Bose Marg
Lucknow - 226 001
Uttar Pradesh
India
Fax : 225468
Ph. : 226386

LDA - February 1996

38
~~41~~

BOT TENDER DOCUMENTS

ROAD BRIDGE OVER RIVER GOMTI
LUCKNOW

Issued To :

LDA/2/96/PL
Tender Serial No.

Undertaking the Design, Construction, Finance, Operations and Maintenance of the Proposed Road Bridge over River Gomti, Lucknow along with its approaches in the State of Uttar Pradesh

LDA
February 1996

BOT TENDER DOCUMENTS

ROAD BRIDGE OVER RIVER GOMTI
LUCKNOW

CONTENTS

SECTION		PAGE
1	Background	1
2	Instructions To Bidder	2
3	Specifications And Conditions Of Bid	4
4	Evaluation Criteria	9

Annex

A	Project Information	14
B	Newspaper insertion advertising distribution of tender	17
C	Affidavit	18

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

BOT	Build, Operate, Transfer
EIA	Environmental Impact Assessment
IRC	Indian Roads Congress
LDA	Lucknow Development Authority
PWD	Public Works Department
NH	National Highway
Rs	Indian Rupees
UPSBC	Uttar Pradesh State Bridge Corporation
UPSEB	Uttar Pradesh State Electricity Board

1 BACKGROUND OF PROJECT

Lucknow, being the state capital of Uttar Pradesh, is the centre of administrative and legislative machinery of the state.

The city attained the status of a metropolitan city in 1981 and since then it has been experiencing fast growth and exhibiting great potential for rapid development. The city had a population of 2.56 lacs in 1901 which had risen to 16.69 lacs in 1991. During the period of 1981-91 the population growth rate has shot up to 65.65%. As such, by the year 2001 the population is estimated to be more than 40 lacs. Table 1.1 shows the population growth of Lucknow in the period 1901-91.

The pattern of urban development in Lucknow indicates that it is expanding in the north eastern direction along the north side of river Gomti. Although presently there are four bridges and one barrage on the Gomti river, the expansion pattern of the city reveals that there is an urgent need for another bridge on ring road downstream of the Gomti barrage.

M/s Lea Associates South Asia Pvt. Ltd., New Delhi had prepared a Report on Pre-feasibility study of Road Bridge Across River Gomti in Lucknow Metropolis, U.P. under BOT scheme in September 95.

On the basis of the pre-feasibility study, the Lucknow Development Authority (LDA) has identified a 3.5km long stretch for a new road bridge including approaches over Gomti River. The LDA has decided to invite competitive bids for the design, construction, operation and maintenance of this project on a Build, Operate and Transfer basis.

Location of the proposed project is shown in Fig.1.

For further details of the bridge, reference may be made to the pre-feasibility report, which are available in the office of the Chief Engineer, LDA, 6 J C Bose Marg, Lucknow - 226001, Fax No. 225468, Ph.No. 226386.

TABLE 1.1
LUCKNOW - POPULATION GROWTH

Year	Population	Decadal growth rate (%)
1901	256239	-
1911	252114	-1.61
1921	240666	-4.54
1931	274659	14.17
1941	387177	40.97
1951	496861	28.33
1961	655673	31.96
1971	813982	24.31
1981	1007604	23.79
1991	1669136	65.65

Source: Report on Pre-feasibility Study of Road Bridge Across River Gomti in Lucknow Metropolis, U.P. under BOT scheme, LASA, New Delhi, Sept. '95

2 INSTRUCTIONS TO BIDDER

2.1 *Preparation Of BOT Tender Proposal*

(a) The Bidder is invited to prepare and submit on or before the BOT Tender closing date, a detailed proposal for the implementation of the Road Bridge over River Gomti, Lucknow on a Build, Operate and Transfer basis. The specifications and conditions of the Bid proposal are detailed in Section 3. LDA reserves the right to reject any proposal that is not complying with the specification and conditions of bid. In addition, the Bidder is required to submit specific summary information on the proposal.

(b) The selected entrepreneur will be required to provide a series of bonds/guarantees/indemnities and other forms of security at various stages to ensure performance of concession agreement.

(c) The Bidder is required to submit the BOT Tender Proposal in two (2) sets separately sealed. One set should be marked ORIGINAL and the other should be marked COPY.

(d) The Tender Proposal shall be prepared in the English language.

2.2 *Earnest Money :*

The bids shall be accompanied by an earnest money deposit amounting to Rs. 1 lakh through a Bank Draft in favour of Vice Chairman, Lucknow Development Authority valid for sixty days after the expiry of the validity of tender failing which, the bids shall be rejected.

2.3 *Submission Of Documents*

(a) All BOT Tender Proposals are to be submitted accompanied with a signed letter of transmittal one (1) original and one (1) copy duly marked. The letter of transmittal shall be signed by the authorised representative of the Bidder. Where a bid is submitted on behalf of the consortium or a joint-venture, the letter of transmittal shall be signed by the authorised representative of the duly appointed lead member of the consortium or joint venture.

(b) The Bidder shall provide a draft concession agreement to be executed between the LDA and Bidder. The draft concession agreement shall contain the terms and conditions proposed by the Bidder in the BOT Tender Proposal. The LDA shall not be deemed to be bound by the draft concession agreement and reserves the right to negotiate the details thereof in the event the Bidder is successful in the BOT Tender exercise. Until all terms and conditions of the draft concession agreement has been agreed, amended, varied or redrafted to the satisfaction of the LDA, the successful Bidder shall have no right of claim or recourse against the LDA.

(c) All BOT Tender Proposal documents as given in para 2.1.(c) shall be placed in one sealed envelope which must be either delivered by hand or registered mail to:

Mr. Lalit Mehrotra,
Chief Engineer,
Lucknow Development Authority
6, Jagdish Chandra Bose Marg,
Lucknow - 226001

Tel. : 226386
Fax : 225463

(d) The final closing date for receipt of BOT Tender Proposal submissions at the above mentioned address is 28th March 1996, or as may be extended by the LDA.

(e) The sealed envelope must be clearly marked on the top right-hand corner :

"BOT Tender - Road Bridge over River Gomti, Lucknow"

(f) The LDA shall not assume any responsibility for any documents which fail to arrive or are lost in the transmittal.

(g) All BOT Tender Proposal submissions will be considered as final bids and no changes will be entertained after the closing date.

(h) The cost incurred by Bidders in the preparation and submission of the BOT Tender Proposal or in providing clarifications or for attending discussions, conferences, etc., will be borne by the respective Bidders themselves. The LDA will in no case be responsible or be liable for any such costs incurred by the Bidders.

(i) The validity of the offer shall be six months (180 days) from the closing date for receipt of BOT Tender proposals.

(j) Failure by the Bidder to provide information which is essential for the evaluation of the BOT Tender Proposal or failure to provide timely clarification or substantiation of the information supplied may result in the rejection of the BOT Tender Proposal submitted by the Bidder.

(k) LDA reserves the right to reject any BOT Tender Proposal submitted, without assigning any reason whatsoever.

3 SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF BID

3.1 *Executive Summary*

The Bidder is to provide an executive summary on all the main terms and conditions proposed in the bid proposal. The executive summary may be incorporated in the letter of transmittal. The main terms shall include the details of the Bidder, benefits of the proposal, technical specifications, funding program, and key terms proposed in the draft concession agreement.

3.2 *Information On The Bidder*

The Bidder (or any of its consortium and/or Joint-venture members) must have experience in the development, financing, design, and construction of bridges, flyovers, underpasses and roads. The Bidder should have adequate technical expertise and experience of successfully completing at least two projects of similar nature of at

least Rs. 10 crores each. The Bidder is required to supply sufficient relevant information in the BOT Tender proposal to enable appraisal of such experience.

3.3 *Project Implementation And Management Structure*

The Bidder shall provide detailed project organisation, time schedule in the form of CPM network organisation and management structure for each of the following stages of the project:

(a) Bid Stage
(b) Project Design and Construction Stage
(c) Operation Stage

In addition, the Bidder shall provide organisation charts showing the respective consortium members and parties involved in the project with roles and relationships clearly defined.

3.4 *Technical Capability Of Bidder*

Detailed information on the Bidder and its consultants and contractors in respect of their technical capacity, experience and expertise to design, construct and operate the project shall be provided. The Bidder shall provide letters from all consortium members confirming their participation in the proposal.

3.5 *Cost Structure*

(a) Detailed cost structure is required to be submitted by the Bidders in terms of the following items also indicating annual basis (wherever applicable) for the full duration of the project. The quantum and percentage of total cost for each item must be provided, including the breakdown into the local (Indian) and foreign cost components.

(i) Construction Costs

(ii) Preliminaries

- Pre-Construction
- Project Management/Advisory/Legal Expenses

(iii) Other Costs

- Toll Equipment
- Motor Vehicles
- Office Equipment

(iv) Operations and Maintenance Costs

- Routine Maintenance
- Major Maintenance
- Toll Operation
- Administration

(b) With regards to the cost estimates, the Bidder shall identify how he intends to maximise the use of local material, plant and equipment, the use of local carriers and also the design and construction by local companies.

3.6 *Technical Specification*

The construction of the Gomti Bridge shall conform to Indian Standards and ensure that the facility is of high quality and can provide a high level of service. Where Indian Standards are not available, acceptable international standards may be used in the design.

The bidder shall identify the existing and proposed water mains, telecommunication lines, electrical transmission lines and all other services along the route alignment. Provision shall be made in the project cost estimate for the temporary/permanent diversion of utilities and services. In this regard, the Bidder should coordinate with the PWD, Irrigation Department, UPSBC, UPSEB, Uttar Pradesh Jal Nigam and other concerned authorities.

3.7 *Land for Approaches*

The land required for 3.5km approach and its Right of Way will be provided to the Bidder free of cost of by the LDA.

3.8 *Land Use*

Permission for commercial use of 25 acres of land adjacent to the road will be provided by the LDA to the Bidder. However, ownership rights will be acquired by the bidder, himself.

Current cost of land in the nearby area is a follows.

Residential Land	Rs. 1,100 per sq.m
Commercial Land	Rs. 3,500 per sq.m
Institutional Land	Rs. 550 to Rs. 1,100 per sq.m

However, this data is only for the information of the Bidder and is indicative. The Bidder shall be responsible to acquire land at location

as deemed fit by the Bidder. LDA do not take any responsiblity for variation in the actual cost of land.

3.9 *Traffic Information And Forecast*

Details relating to the latest traffic counts, and estimates of traffic on the Bridge as indicated by the consultants is provided in Annex-A.

LDA shall not be responsible for the accuracy of the information provided and shall not be liable for or be bound by the traffic information used by the Bidder in evaluating the project. The Bidder may at his own cost, carry out independent traffic studies for this purpose.

The Bidder is required to provide details of the traffic volume estimated for 1998 (opening year of the facility) and the growth rate in traffic volume over the proposed concession period as assumed by the Bidder in making the Financing Proposal.

3.10 *Toll Rate Structure*

The Bidder shall provide information on the types of vehicles which shall be considered for toll collection at the facility. The classification of tollable vehicles shall be clear and unambiguous using automated systems.

Details on the toll rate structure for each of the proposed tollable vehicle classes shall be provided by the Bidder. The Bidder shall also discuss and make recommendations with regards to toll affordability, the toll systems to be adopted, probable traffic leakage in the toll system, and willingness by the road users to pay tolls.

However the maximum limit for toll tax chargable at the commencement of the tollway is as follows :-

Heavy vehilces (Trucks, buses, 3 wheelers)	Rs. 20/-
Light Motor Vehicles (Cars and Jeeps)	Rs. 10/-
Two wheelers (Excluding cyles)	Rs. 5/-
Rickshaws, bicycles and pedestrians	Free

The Bidder is also required to propose a formula for adjustment or revision in the toll rate during the concession period.

3.11 *Concession Period*

The facility shall be tolled during the concession period. At the expiry of the concession period, the facility will be transferred to the LDA in full working order. Concession period for this project is 25 years after opening of the bridge facility.

3.12 *Funding Programme*

(a) The proposed project financing plan, as well as the proposed debt and equity structure and quantum shall be indicated in detail, including :

- Equity - Types of shares, percentage, quantum and names of equity holders and timing of receipts.
- Debt - Commercial loans, percentage and quantum and names of potential debt providers, and timing of receipts.
- Other Source of funds - Nature, quantum and timing of receipts.

The entrepreneur is required to invest at least 15% of the project cost as his equity and deploy the same on the project before funds from any other source are utilised.

If need be LDA will be willing to be associated as co-promoters by participating in equity. The terms and conditions of such participation is negotiable with the LDA and bidder.

(b) Financial assumptions and cash realisations projected are to be indicated in detail and relevant justification of the assumptions used for evaluating different options are to be stated, where necessary.

(c) The Bidder shall provide the projected proforma profit and loss statements and an assessment of the Project viability in terms of the financial internal rate of return on equity for investors, payback period, debt service cover and proposed repayment terms and schedule of debt.

3.13 *Conformity With Government Policy*

Although there is a margin of flexibility, the Bidder will ensure that the shareholdings and shareholding structure of the Bidder (or the

Consortium and/or Joint-venture) shall at all times conform to Government Policy.

3.14 *Proof Checking of Structural Design*

All structural design will be checked by reputed institution/structural engineer at Bidder's cost.

3.15 *Completion Certificate*

The bridge shall be made operational only when authorised Engineer of LDA provides a completion certificate after checking all safety measures.

3.16 *Key Assumptions*

The Bidder shall provide all principal assumptions including financial assumptions used in formulating the BOT Tender proposal.

3.17 *Environment*

The environmental considerations shall conform to acceptable environmental quality and management standards and encompassing but not limited to the following components :

(a) Preventive Measures
(b) Minimising adverse impacts
(c) Public health and safety
(d) Visual Intrusion
(e) Noise Pollution
(f) Waste disposal
(g) Protection of public utilities

The BOT Tender proposal shall provide the scope of an Environmental Impact Assessment (EIA) for the project. The successful Bidder will be required to commission an independent EIA study in respect of the project.

4 EVALUATION CRITERIA

4.1 It is envisaged that upon the receipt of the BOT Tender proposals, the LDA will commence evaluation for purposes of short-listing the Bidders prior to initiating negotiations.

4.2 The Bidder may be invited to meet with the Evaluation Team to identify any features of the BOT Tender proposal that may enhance its perceived benefits. The LDA will take this opportunity to raise any concern or identify other features of the Bidders proposal that might enhance its value. Attempts will be made to identify any

technical or contractual deficiencies in the project that could make it less feasible and less beneficial.

4.3 Upon the selection and approval by the LDA of the BOT Tenders received, negotiations will commence to refine the proposal, clarify risks allocation and establish the key principles that the Bidder wishes the LDA to consider. These matters will be incorporated, where applicable, in the concession agreement.

4.4 On the basis of the data furnished by the Bidders, the applicants' capability to undertake the development and maintenance of the project on Build, Operate and Transfer basis will be evaluated taking into account, amongst others, the following factors :

(a) Financial strength and capability to raise resources to fund the construction and maintenance cost, and sources of financing of projects under private sector funding.

(b) Managerial capabilities to manage large size projects, including experience in handling projects on BOT basis.

(c) Technical capabilities, qualification and past experience of the Bidder and the proposed consultants, contractors and operators. The consortium having experience working in Lucknow region would be given due weightage.

(d) Capability of the contracting firm(s) identified for construction of the project.

(e) Capability [illegible]

4.5 All Bidders should note that in the evaluation process, the following matters would be of utmost importance and shall influence the decision on the selection of the successful BOT Tender proposals received :

(a) <u>Strength and Capability of Bidders</u>

The Bidder and/or any of his agents must have experience in developing, financing, design, construction, commission and operation of at least two tolled highway projects of similar nature of atleast Rs. 10 Crores each. In the best interests of the Bidder, he is required to supply sufficient information about the Bidder, and the Consultants, Contractors and Operators proposed, to allow for a complete and sound appraisal of the BOT Tender proposal to be made. It must be stressed, however, that only verifiable claims will be accepted, i.e. only claims that can be substantiated by the data submitted, or can reasonably be presumed to be accurate by the LDA or its consultants, or by independent experts, will be accepted as part of the information documentation on the BOT Tender proposal. Claims that

cannot be easily verified by the LDA will not be considered in the evaluation.

In addition, the Bidder must also obtain written confirmation of the involvement of its consultants, contractors, operators and financiers to be engaged. Partners and/or parent companies of the participants must be identified. Documents showing a commitment and intention to participate in the project must be included in the BOT Tender proposal. If available, additional information such as a complete management plan, a Memorandum of Understanding or, preferably, signed contracts reflecting commitment in the project should be included.

The information on the Bidder and consortium members or joint-venture partners shall be provided.

(b) Equipment Capabilities

The Bidder and/or its contractors shall own, or have assured access to (through hire, lease, purchase agreement, availability of manufacturing capacity or other means), the major items of equipment in full working order, and must demonstrate, based on known commitments, that they will be available for use in the proposed project. The Bidders may also list alternative equipment which the Bidder proposes for the project, together with an explanation of the proposal. The Bidder/Contractor/Consultant shall furnish the information on the equipment list proposed.

(c) Technical Proposal

The Technical Proposal must be completed in sufficient detail and contain sufficient information to show convincingly that the Bidder and its consultants, contractors and operators have the technical capability, experience and expertise (either directly or through the use of other parties) to design, construct and operate the proposed Bridge, and that the concerns of the LDA regarding their qualification for the Project have been addressed. The LDA reserves the right to reject any of the Bidder or its agents in implementing the Project. Accordingly, the Bidder and its agents must have suitably qualified personnel to fill the positions for this assignment/project. Information on the key personnels of the bidder to be dedicated to the successful and timely completion of the Bridge should be provided.

The technical evaluation would encompass the following areas specifically :

- soundness of the technical proposal
- consideration for safety features and incorporation of the same in the BOT Tender Proposal
- cost effectiveness of the technical solutions proposed
- compliance with IRC and all other existing regulatory framework relating to design and construction
- level of local and foreign content and components

The information on the proposed staff/personnel of contractors and consultants and/or operators are to be supplied.

(d) Financial Proposal

The Financial Proposal must be completed in sufficient detail and contain sufficient information to allow verification that the Bidder has the capability, experience and expertise to finance, and develop the proposed project in accordance to the BOT Tender Proposal, and that all LDA's requirement regarding the Bidders' qualifications for the Project are fully satisfied.

The Bidder shall provide verifiable evidence that it has strong credit backing, and the Bidder can directly or successfully arrange financing for the project, and arrange the required security on completion and performance.

From the audited Balance Sheets for three (3) preceding years submitted by the Bidder, the net worth of the Bidder and each member of the Consortium/Joint-venture Company will be evaluated, based on assets owned and total liability positions. Further, financial statements would also be applied in ascertaining the working capital situation of the Bidder and its agents.

The Bidder need to demonstrate that it has access to, or have available, the necessary lines of credit and other financial means sufficient to meet the required construction cashflow estimates.

It is necessary that the Bidder and its agents have a sound financial standing. For this purpose, references and testimonials from clients with whom the Bidder and its agents have had past association and Letters of Support from Financial Institutions/Bankers are to be submitted. The LDA or its appointed consultants will carry out investigations that are considered necessary to check the documents submitted to verify/confirm the financial standing.

Bidders will be judged on the basis of the information furnished in support of their financial standing and their ability to demonstrate the financial and commercial viability of the Project. Any application that indicate weakness in financial position or deficiencies in structure and organisation capability will be eliminated from further consideration.

The supporting details on the financial with the Bidder shall be furnished.

The LDA will review the unit toll rate, the inter-class toll structure proposed and any government support majors required, to determine the attractiveness of the financial proposals. Evaluation will be made to rank the BOT Tender Proposal based on the financial proposals which maximise the Benefits/Cost ratio. Consequently, the Bidder shall provide detail information on the benefits of the Bidders Proposal to the LDA and road users, to enable the LDA to determine the attractiveness of the Bidders proposal vis-a-vis other BOT Tender proposals received.

(e) An affidavit regarding the correctness of the information shall be furnished as per format in Annex - C.

ANNEX A
1

PROJECT INFORMATION

SALIENT FEATURES OF ROAD BRIDGE OVER RIVER GOMTI, LUCKNOW

1. LOCATION

The project is located in the state of Uttar Pradesh which forms the northern boundary of India. The state lies between the latitudes 23°08'N and 31°27'N and longitudes 77°07'E and 84°37'E. The project site is located within the road and railway network. Key plan showing location of the proposed site is shown in Fig.3

2. HYDROLOGICAL AND CLIMATOLOGICAL DATA AND SEISMIC ZONE

High flood level = RL 111.6 m.

Tropical Climate

- Avg. Maximum temperature : 45.5°C
- Variation in seasonal temp : 41.2°C
- Avg. Minimum Temp in winter : 4.3°C

Seismic Zone : III

4. RIVER BANK PROTECTION WORKS

River protection works are required on both sides of the bridge.

5. MATERIAL AVAILABILITY

All basic construction materials are available within reasonable leads.

6. DETAILS OF PROPOSED BRIDGE :

a) Length of main bridge : about 200m over river

b) Length including approaches : 3.5km

c) Deck width : 4 lane bridge with 1.5m footpath on either side.

ANNEX A
2

d) Proposed Formation Level(m) : RL 117.4m

e) Landscaping : The new bridge to be aesthetically suited to the environment.

7. DETAILS OF UNDERPASS ON THE APPROACH ROAD :

Underpass : Vertical clearance = 6m
Clear width = 18m

8. COST ESTIMATE

Approximate and indicative cost estimate for the bridge and its approaches are as follows :

Component	Financial cost (Rs. in million)
Bridge	108.0
Approach Road	72.0
Land Acquisition	12.5
Toll Plazas	32.0
Flyover and underpass	50.0
TOTAL	274.5

Source : Report on Pre-feasibility Study of Road Bridge Across River Gomti in Lucknow Metropolis, U.P. under BOT scheme, LASA, New Delhi, Sept.'95

9. TRAFFIC STUDIES AND FORECAST

To assess the traffic loads on the new bridge various traffic studies were conducted during the pre-feasibility study. The result is reproduced in Table A-1.

TABLE A-1

59

ESTIMATED TRAFFIC LOADS ON BRIDGES ACROSS RIVER GOMTI IN LUCKNOW

(VEHICLE TRIPS BY MODE)

YEAR	CYCLE		SC/MC		CAR/JEEP/VAN		AUTO TEMPO		BUS		TRUCK		TEMPO		TRACTOR		TOTAL (Without Bridge)		TOTAL (Old Bridge)		TOTAL (New Bridge)	
	Old Br	New Br	Old Br	New Br	Old Br	New Br	Old Br	New Br	Old Br	New Br	Old Br	New Br	Old Br	New Br	Old Br	New Br	Vehicles	PCU	Vehicles	PCU	Vehicles	PCU
1995	11063		11813	-	10739		2823		2649	-	4245	-	2012		367		45861	51703	-			
1996	11080		12498	-	11478		2733	-	2659	-	4430	-	2039		314	-	47260	53320	-			
1997	11010		13242	-	12052		2644	-	2734	-	4729	-	2071		322	-	48804	55087	-			
1998	7848	3167	9501	4748	7145	5520	1658	573	291	2492	1633	3361	1971	196	165	227	50505	57015	29951	27443	20521	[illegible]
1999	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7333	[illegible]	1592	[illegible]	351	2505	1771	[illegible]	1981	171	165	229	52377	59120	[illegible]	28111	22017	[illegible]
2000	7455	3647	9916	5983	7525	6492	1502	914	352	2517	1921	3654	1990	214	114	242	54436	61410	30788	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2001	7256	[illegible]	10257	6715	7722	7041	1417	935	457	2530	2083	3810	2000	[illegible]	121	231	56700	63922	31252	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2002	7013	4201	10568	7558	7924	7656	1336	956	501	2543	2259	3973	2010	[illegible]	125	236	59189	66655	31768	[illegible]	27420	[illegible]
2003	6856	[illegible]	10710	8461	8132	8252	1260	978	574	2556	2450	4142	2020	425	138	239	61925	69647	32338	31611	29589	[illegible]
2004	6275	[illegible]	11263	9498	8345	8852	1189	1001	657	2569	2657	4319	2029	[illegible]	142	211	64933	72016	32958	32722	[illegible]	[illegible]
2005	[illegible]	5193	11627	10661	8564	9741	1121	1024	732	2582	2852	4563	2039	[illegible]	[illegible]	211	68213	76490	33651	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2006	[illegible]	5575	12503	11967	8788	10564	1057	1047	801	2595	3125	[illegible]	2049	[illegible]	[illegible]	216	71888	80119	34566	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2007	[illegible]	[illegible]	12592	[illegible]	9018	11157	[illegible]	1071	[illegible]	2608	[illegible]	[illegible]	2050	[illegible]	168	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2008	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9254	12130	911	[illegible]	1129	2621	[illegible]	[illegible]	2060	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2009	[illegible]	6888	[illegible]	16926	9497	13436	867	1121	1293	2634	3957	5323	2070	[illegible]	187	251	85237	94691	36660	40147	[illegible]	[illegible]
2010	[illegible]	7692	13631	19880	9746	14615	847	1147	1451	2647	4323	5550	2059	[illegible]	193	256	88657	100467	37988	42095	52675	[illegible]
2011	[illegible]	7934	14075	21327	10001	15851	789	1173	1695	2661	4659	5757	2090	[illegible]	202	259	96665	106361	39084	41228	47541	[illegible]
2012	[illegible]	8007	14521	22157	10415	16507	803	1193	1736	2724	4893	6039	2181	[illegible]	[illegible]	264	100528	110955	40642	45941	[illegible]	[illegible]
2013	5628	8030	15607	23648	10846	17190	816	1213	1777	2738	5106	6302	2273	[illegible]	217	266	104567	115280	42271	47726	62296	[illegible]
2014	[illegible]	8155	16454	24901	11295	17802	850	1234	1819	2854	5329	6576	2366	[illegible]	222	275	108790	119775	43673	49587	64816	[illegible]
2015	[illegible]	8250	17565	26221	11763	18613	844	1255	1862	2922	5561	[illegible]	2462	[illegible]	[illegible]	280	113206	124480	45744	[illegible]	67181	[illegible]
2016	[illegible]	[illegible]	18222	27611	12280	19415	859	1276	[illegible]	2991	[illegible]	7162	2562	[illegible]	[illegible]	286	117828	129821	47618	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2017	[illegible]	[illegible]	19188	29074	12757	20219	873	1297	1951	3062	6056	7474	2667	[illegible]	[illegible]	292	122651	134407	49565	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2018	[illegible]	8189	20205	30615	13255	[illegible]	888	1319	1997	3154	6320	7760	2778	[illegible]	[illegible]	298	127706	139707	51602	57886	76101	[illegible]
2019	[illegible]	8537	21276	32237	13835	21925	888	1342	2044	3205	6595	8189	2888	[illegible]	247	301	132990	145234	53732	60115	72258	[illegible]
2020	[illegible]	8615	22404	33946	14408	22835	918	1364	2093	3284	6832	8494	3006	[illegible]	[illegible]	310	138518	150828	55961	62535	82557	[illegible]
2021	[illegible]	[illegible]	23591	35745	15004	23781	934	1388	2142	3362	7152	8864	3125	[illegible]	255	316	144501	157040	58292	65041	[illegible]	[illegible]
2022	6111	[illegible]	21841	37640	15626	24765	950	1411	2193	3441	7495	9250	3255	[illegible]	[illegible]	322	150552	163280	60731	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2023	[illegible]	8855	26155	39635	16273	25791	966	1435	2245	3523	7821	9653	3388	[illegible]	265	329	156653	169821	63253	70355	[illegible]	[illegible]
2024	6221	8937	27541	41735	16946	26838	982	1459	2298	3606	8162	10073	3526	[illegible]	[illegible]	335	163308	176615	65955	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2025	6252	9019	29001	43947	17648	27970	999	1484	2353	3692	8518	10512	3669	4527	[illegible]	342	170211	183764	68745	76133	[illegible]	[illegible]

Source: Report on Pre feasibility Study of Road Bridge Across River Gomti in Lucknow Metropolis, U.P. under BOT scheme, LASA, New Delhi, Sept '95

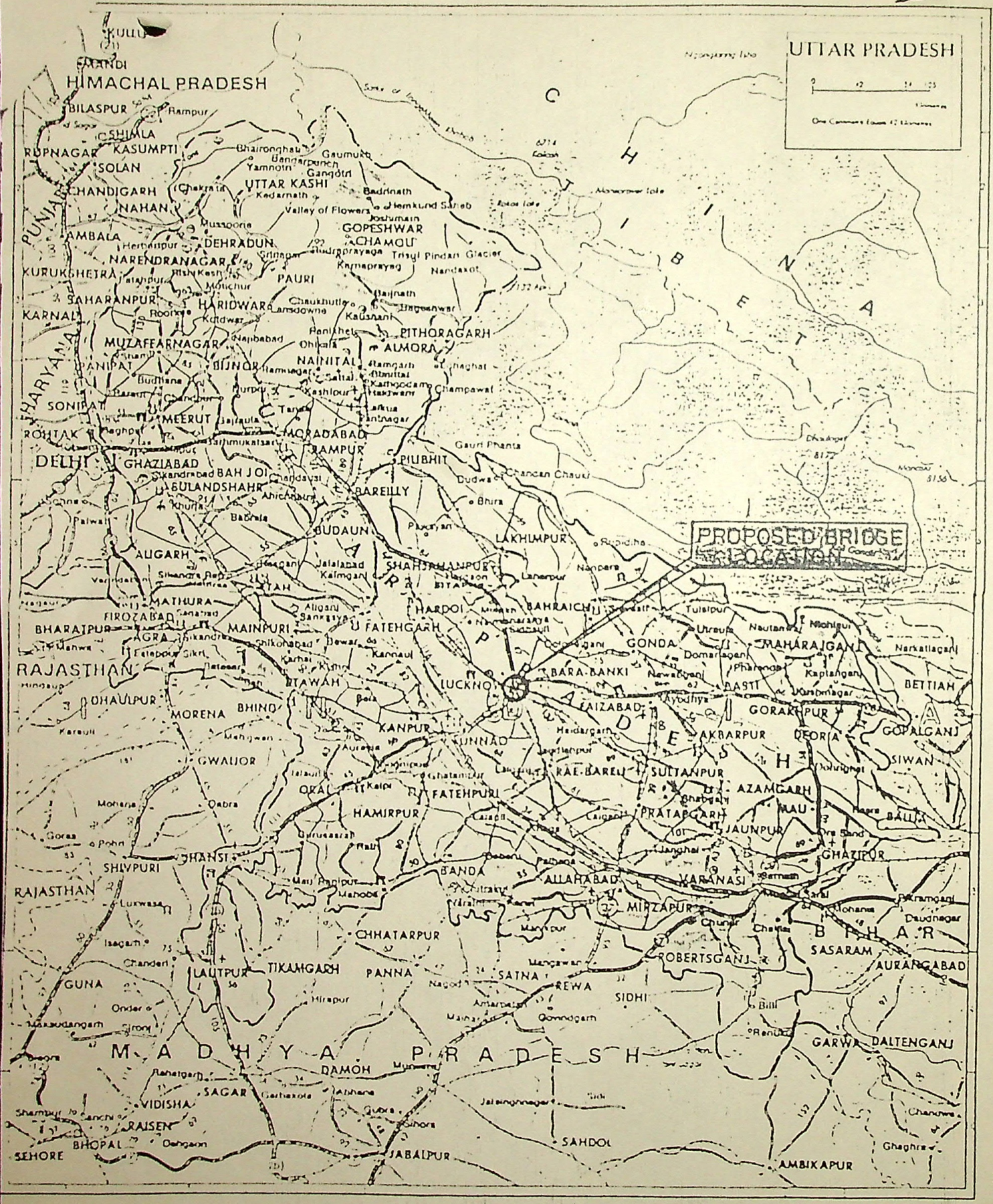

INDEX MAP

FIG. 1

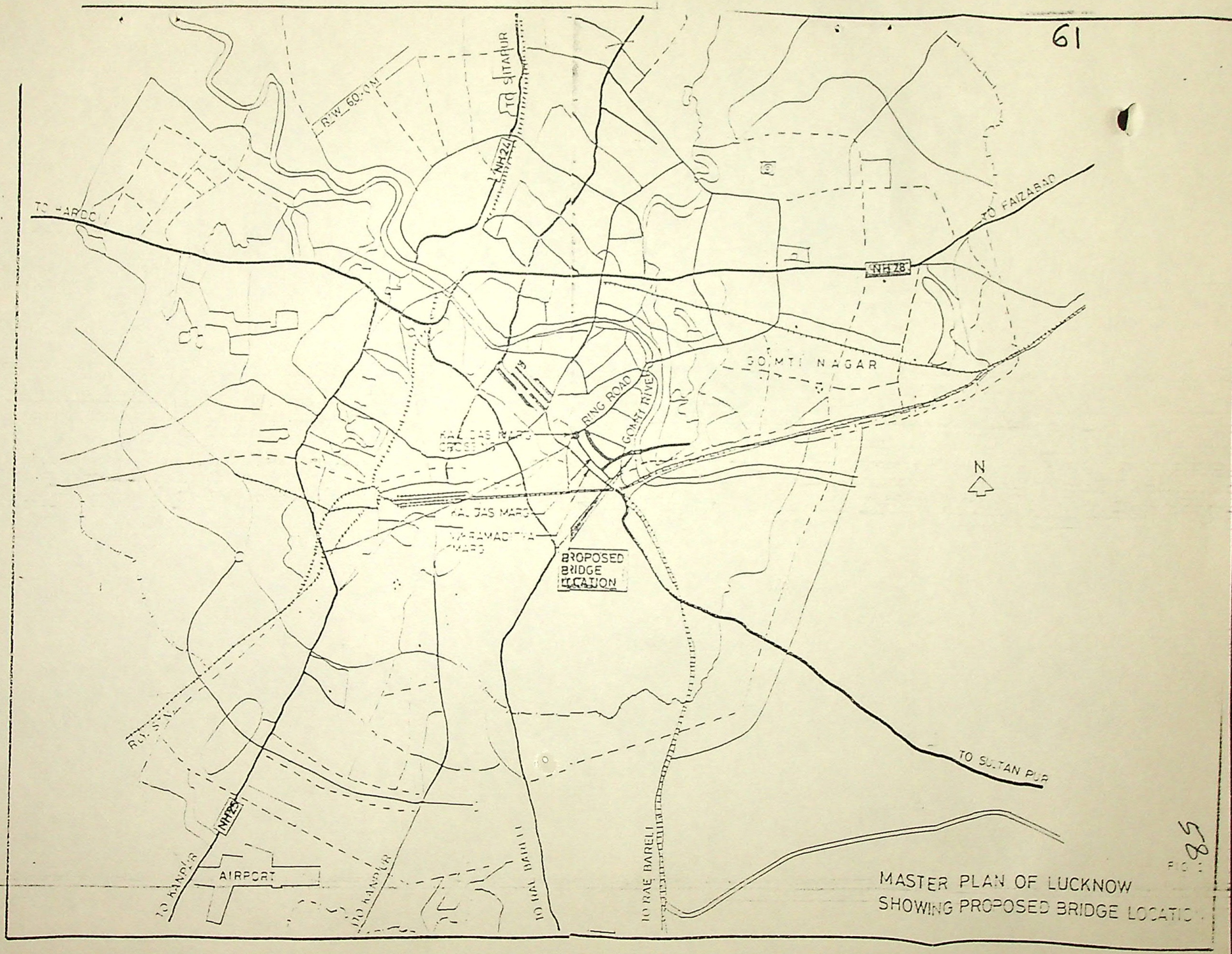

MASTER PLAN OF LUCKNOW
SHOWING PROPOSED BRIDGE LOCATIO

85

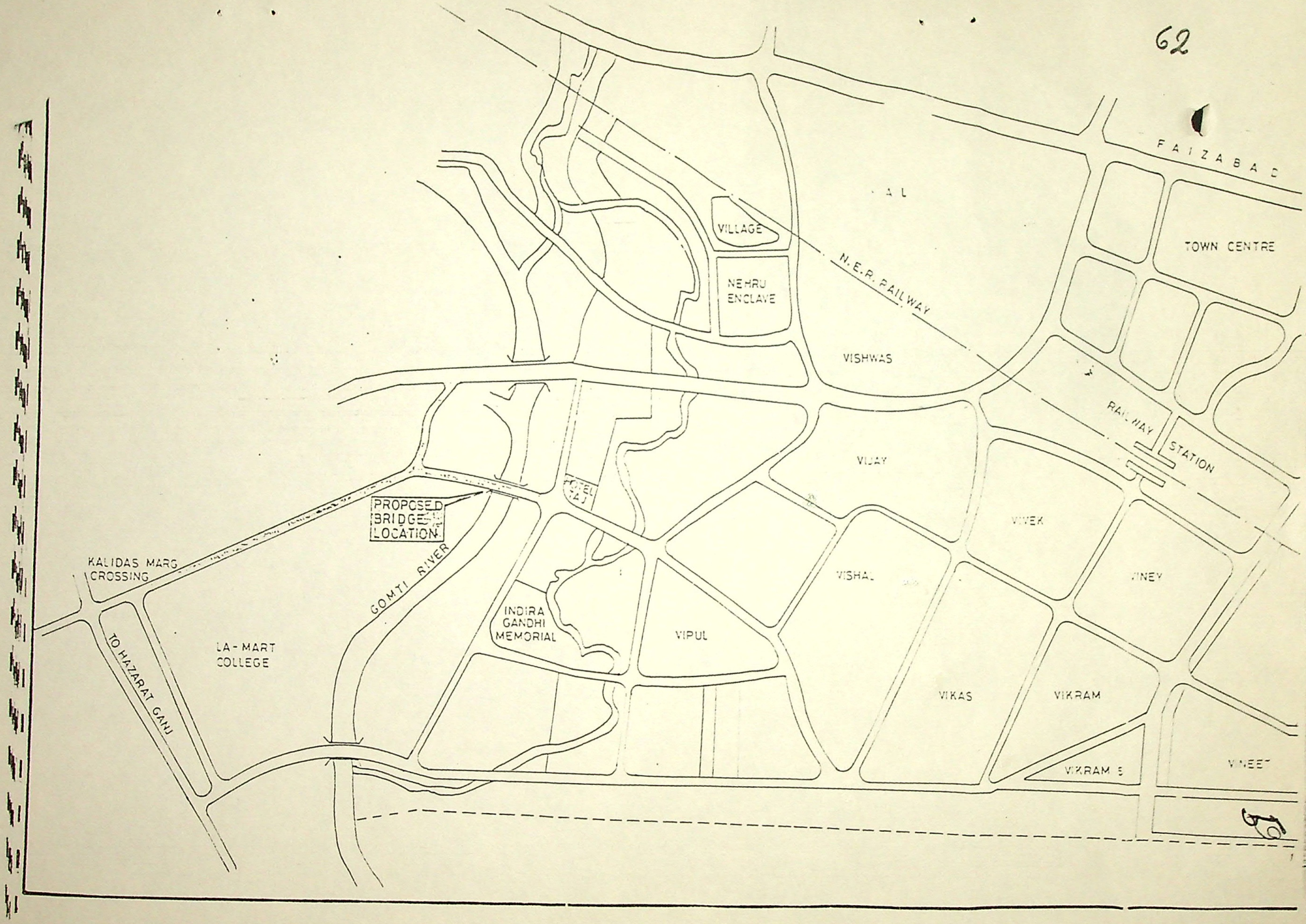
FAIZABAD
VILLAGE
NEHRU ENCLAVE
N.E.R. RAILWAY
TOWN CENTRE
VISHWAS
RAILWAY STATION
VIJAY
HOTEL TAJ
PROPOSED BRIDGE LOCATION
KALIDAS MARG CROSSING
GOMTI RIVER
VIVEK
VISHAL
VINEY
INDIRA GANDHI MEMORIAL
VIPUL
TO HAZARAT GANJ
LA-MART COLLEGE
VIKAS
VIKRAM
VIKRAM S
VINEET

60

~~63~~

ANNEX B

NEWSPAPER ADVERTISEMENT

Build a bridge on one of the busiest routes in U.P. on BOT basis and open the doors of prosperity for yourself and th: whole region.

Lucknow Development Authority
invites
bids from Reput : Firms,
Corporations, Promoters & Builders for construction of a bridge across

Salient I atures

- The proposal includes construction of a four lane bridge with 2.5 Km approach road.
- Land for the road will be provided free of cost by LDA.
- Permission for commercial use of 25 acres of land adjacent to the road will be provided by the LDA to the builder/promoter but ownership rights will be acquired by the builder/promoter.
- If need be LDA will be willing to be associated as co-promoters by participating in equity.
- All heavy and light vehicles of Trans Gomti area between Faizabad and Lucknow will pass over this bridge.
- Toll tax of upto Rs 20/- from heavy vehicles and upto Rs 10/- from light vehicles may be charged by the operator. In future this tax may be increased.
- Traffic survey of September 1995, provides that 15000 cars, 4000 trucks, 2500 bus, 2500 tempo & 300 tractors pass over Gomti Barrage everyday.
- The builder/promoter should have adequate technical expertise and experience of successfully completing atleast two projects of similar nature of atleast Rs. 10 crores each.
- The property shall revert back to LDA after 25 years.

How to apply

Bid documents and other details can be had from the office of Chief Engineer,LDA upto 3 P.M. on 27-02-96

Bids may be deposited in the tender box placed in the office of chief engineer upto 3 p.m. of 28.02.96

Promoters/Bidders will submit the following :-

1. Credentials/Details of the firm.
2. Income tax certificate
3. List of technical staff
4. List of machines/tools
5. Details of works executed in the last five years
6. Details of ongoing projects
7. Details of Bankers
8. Details of financial standing /solvency certificate
9. Bank Draft of Rs. 1 lakh in favour of Vice Chairman Lucknow Development Authority

Key Plan

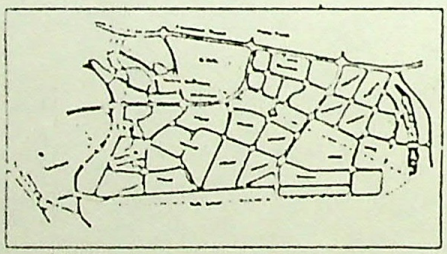

Gangadin Yadav (I.A.S)
Vice Chairman

Lalit Mehrotra
Chief Engineer

Lucknow Development Authority
6, Jagdish Chandra Bose Marg, Lucknow-226001; Fax : 225468, Ph. 226386

ANNEX C

INFORMATION ON THE BIDDER

AFFIDAVIT

(To be given separately by each constituent of the entrepreneur in the case of Joint Venture/Consortium)

I, the undersigned, do hereby certify that all the information supplied is accurate, true and correct.

The undersigned authorise(s) and request(s) any bank, person, firm or corporation to furnish pertinent information deemed necessary and requested by the LDA to verify this reputation.

The undersigned understands and agrees that further qualifying information may be requested and agrees to furnish any such information at the request of the LDA.

I understand that furnishing of false information could result in my disqualification for the award of contract.

_____

(Signed by an Authorised Signatory of the Firm)

_____

Title of Officer

_____

Name of Firm

_____

Date

Encl : Requisite power of attorney

विषय सँख्याः 4 पृष्ठ सँख्याः 65

विषयः- गोमती नगर योजना के टाउन सेन्टर 5 विभूति खंड 5 में प्रस्तावित संस्थागत भू-उपयोग के बदले विराज खंड जिसका भू-उपयोग संस्थागत है में से 50 एकड़ भूमि टाउन सेन्टर में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

अपोलो हॉस्पटल स्कार्ट हॉस्पटल एवं यू0 पी0 हार्ट फाउन्डेशन सेन्टर को गोमती नगर योजना में भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रमुख सचिव आवास के कक्ष में दिनाँकः 20.02.96 को शासन तथा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विमर्श हुआ।

अपोलो हॉस्पटल को आवासीय दर की आधी दर पर भूमि देने का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले ही वर्ष 91 में लिया जा चुका था तथा इसकी सूचना प्राधिकरण द्वारा आपोलो हॉस्पटल को दे दी गयी थी। इस हेतु जिस स्थल के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था वह विवादित होने के कारण नहीं दिया जा सका तथा प्रकरण लम्बित चलता रहा। तथा उक्त संस्था ने कोई धनराशि भी जमा नहीं की।

उपरोक्त संस्थाओ द्वारा गोमती नगर के टाउन सेन्टर में भूमि उपलब्ध कराने का बार-बार अनुरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि टाउन सेन्टर की भूमि का स्थल अधिक उपयुक्त है। उपरोक्त संस्थाओं को यदि टाउन सेन्टर में भूमि दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो उतनी भूमि टाउन सेन्टर की अन्यत्र परिवर्तित करनी होगी ताकि प्राधिकरण को आर्थिक क्षति न उठानी पड़े।

चूँकि उक्त संस्थायें राष्ट्रीय ख्याति की हैं और उनके यहाँ आने से प्रदेश व लखनऊ की जनता को प्रदेश से बाहर हार्ट तथा अन्य गंभीर बीमारियों के लिये नहीं जाना पड़ेगा जिससे धन व समय दोनों की बचत होगी।

अतः यह विचार किया गया कि इन संस्थाओं को टाउन सेन्टर में निम्न प्रकार भूमि उपलब्ध करायी जायः-

1.	अपोलो	10 एकड़
2.	स्कार्ट	5 एकड़
3.	यू0पी0हार्ट फाउन्डेशन सेंटर	5 एकड़

इसके अतिरिक्त सिविल सर्विस हॉस्पिटल के लिए 2.5 एकड़ भूमि विपणन खण्ड में दिया जाना प्रस्तावित है। यह भूमि भी व्यवसायिक है।

टाउन सेन्टर में पूर्व में राज्य सरकार को लोहिया हस्पताल के लिए 20 एकड़ भूमि आवासीय दर की आधी दर पर दी जा चुकी है।

अतः उपरोक्त के बदले गोमती नगर के विराज खंड जिसका भू-उपयोग वर्तमान महायोजना में संस्थागत है तथा इसकी दर आवासीय दर की आधी है, में से 50 एकड़ भूमि व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित कर दी जाय।

अभी तक टाउन सेन्टर जो व्यवसायिक है एक ही स्थान पर केन्द्रीत है। यदि इसका कुछ भाग विराज खंड में परिवर्तित हो जाता है तो योजना के लिए लाभकारी होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 60 मीटर चौड़ी रिंग रोड विराज खंड के बगल से जायेगी जिस पर मंडी परिषद द्वारा गोमती नदी पर शहीद सेतु का निर्माण कराया जायेगा और यह सड़क सुल्तानपुर रोड को जोड़ेगी।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में निम्न प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं:-

1. विराज खंड जिसका भू-उपयोग संस्थागत है में से 50 एकड़ भूमि व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित कर दी जाय।

2. टाउन सेन्टर में उपरोक्त संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि का भू-उपयोग संस्थागत कर दिया जाय।

3. सिविल सर्विसेज हास्टल को विपिन खंड में दी जाने वाली 2.5 एकड़ भूमि का भू-उपयोग आवासीय कर दिया जाय।

उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत होने पर शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 23 फरवरी, 1996

का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1.	श्री अखण्ड प्रताप सिंह	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
2.	श्री नरेश दयाल	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री गंगादीन यादव	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4.	श्री प्रदीप शुक्ला	जिलाधिकारी, लखनऊ।
5.	श्री संजय अग्रवाल	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।
6.	श्री विजय बहादुर सिंह	संयुक्त सचिव, उ.प्र.शासन वित्त विभाग।
7.	श्री हरे कृष्ण शर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8.	श्री बी.एस.माथुर	मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जलनिगम।
9.	श्री मुरलीधर	अपर निदेशक, उद्योग विभाग, लखनऊ।
10.	श्री यशवीर सिंह चौहान	अपर आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास विकास परिषद।
11.	श्री सुबोध शंकर	वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक, उ.प्र. आवास विकास परिषद।
12.	श्री एस.ए.ए.खान	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

विषय संख्या:1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 1995 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 1995 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

क्रमशः-----

विषय संख्या: 2

गोमती नगर योजना तथा लखनऊ-रायबरेली रोड के मध्य प्रस्तावित 60.00 मीटर रोड एवं सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत उसके दोनों तरफ की भूमि का अर्जन।

निर्णय :

गोमती नगर योजना तथा लखनऊ-रायबरेली रोड के मध्य प्रस्तावित रिंग रोड के दोनों तरफ भूमि के सुनियोजित विकास के लिये 6,624.09 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें 539.04 एकड़ भूमि नगर निगम/ग्राम समाज की है तथा 239.77 एकड़ भूमि अन्य विभागों की है। इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आबादी एवं मन्दिर आदि की 134.00 एकड़ भूमि भी आती है। यह निर्देश दिये गये कि अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजने से पूर्व यह देख लिया जाये कि अन्य विभागों की भूमि किन-किन विभागों की है तथा किस प्रयोजन हेतु है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में अंकित ग्राम समाज की 539.04 एकड़ भूमि में से कितनी भूमि नगर निगम की है एवं कितनी ग्राम समाज की?

मुख्य अभियन्ता द्वारा अर्जित की जाने वाली भूमि को नक्शे पर दिखाया गया। योजना की कुछ भूमि के बारे में बताया गया कि उसे आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहीत किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि पुष्टि कर ली जाये कि आवास विकास परिषद के अधिग्रहण प्रस्ताव का अनुमोदन हो गया है या नहीं।

रिंग रोड तथा उसके आस पास की भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ एवं निम्न निर्णय लिये गये:-

:I: रिंग रोड के लिये आवश्यक भूमि तथा रिंग रोड के आस-पास के क्षेत्र के विकास के लिये अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के प्रस्ताव अधिग्रहण हेतु भेजे जायें।

:II: रिंग रोड के निर्माण के लिये गोमती नगर योजना तथा लखनऊ रायबरेली रोड के मध्य प्रस्तावित रिंग रोड के अतिरिक्त सीतापुर रोड से हरदोई रोड तथा रिंग रोड के अन्य भागों जहाँ पर रिंग रोड के निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है, को सम्मिलित करते हुए अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाया जाये। रिंग रोड के शेष भाग जिसकी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव इस अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित

(II) गुणवत्ता के लिये आई.एस. कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(III) अर्हता के लिए यह मानक रखा जाये कि बिडर ने कम से कम २५ करोड़ धनराशि की एक परियोजना पूर्ण की हो तथा उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो।

(IV) बिड का चयन निम्न मानकों के आधार पर किया जाये:-

1. परियोजना की लागत।
2. भूमि की मात्रा जिसके भू-उपयोग का परिवर्तन चाहा गया है।
3. ईक्विटी की मांग।

प्राप्त आफर्स के परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ सदस्य होंगे। इनके अतिरिक्त अध्यक्ष अन्य जिन सदस्यों की आवश्यकता समझें उन्हें समिति में सम्मिलित कर सकते हैं।

उक्त समिति प्राप्त आफर्स का परीक्षण कर बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(V) अधिकतम २५ एकड़ भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बिड डाकूमेन्ट में व्यवसायिक भूमि का जो मूल्य दिया गया है वह व्यवहारिक नहीं है। सामान्यतः व्यवसायिक भूमि का मूल्य आवासीय भूमि के मूल्य का दो गुना होता है। साथ ही यह भी बताया गया कि भू-उपयोग के परिवर्तन हेतु शासन स्तर से ही निर्धारित है जो कि भू-उपयोग के परिवर्तन के फलस्वरूप भूमि की कीमत आंकने में सहायक हो सकती है। इसी आधार पर पुनः निर्माण के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहन की गणना करना उचित होगा। भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय शासन स्तर पर हुई बैठक में लिया जा चुका है।

(II) गुणवत्ता के लिये आई.एस. कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(III) अर्हता के लिये यह मानक रखा जाये कि बिडर ने कम से कम 25 करोड़ धनराशि की एक परियोजना पूर्ण की हो तथा उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो।

(IV) बिड का चयन निम्न मानकों के आधार पर किया जाये :-

1. परियोजना की लागत।
2. भूमि की मात्रा जिसके भू-उपयोग का परिवर्तन चाहा गया है।
3. ईक्यूटी की मांग।

प्राप्त आफ़र्स के परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता मे एक समिति गठित की गई जिसमे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ सदस्य होगें। इनके अतिरिक्त अध्यक्ष अन्य जिन सदस्यों की आवश्यकता समझें उन्हे समिति मे सम्मिलित कर सकते हैं।

उक्त समिति प्राप्त आफ़र्स का परीक्षण कर बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(V) अधिकतम 25 एकड़ भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध मे विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बिड डाकूमेन्ट मे व्यवसायिक भूमि का जो मूल्य लिया गया है वह व्यवहारिक नहीं है। सामान्यतः व्यवसायिक भूमि का मूल्य आवासीय भूमि के मूल्य का दो गुना होता है। साथ ही यह भी बताया गया कि भू-उपयोग के परिवर्तन हेतु शासन स्तर से ही निर्धारित है जो कि भू-उपयोग के परिवर्तन के फलस्वरूप भूमि की कीमत आंकने मे सहायक हो सकती है। इसी आधार पर पुन निर्माण के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहन की गणना करना उचित होगा। भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय शासन स्तर पर हुई बैठक मे लिया जा चुका है।

उक्त भूमि के बदले विराज खण्ड में केवल 5.0 एकड़ भूमि का भू-उपयोग संस्थागत से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने की सहमति दी गई।

(एम.ए.ए. खान)
सचिव

(गंगादीन यादव)
उपाध्यक्ष

<u>अ नु मो दि त</u>

(नरेश दयाल)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।